

**परिशिष्ट 1.1**  
**राज्य प्रोफाइल**  
(संदर्भ: अनुच्छेद 1.1 एवं 1.3; पृष्ठ 1)

राज्य प्रोफाइल			
क. सामान्य डाटा			
क्र. सं.	विवरण		आंकड़े
1	क्षेत्र		44,212 वर्ग कि.मी.
2	जनसंख्या		
	क	2001 की जनगणना के अनुसार	2.11 करोड़
	ख	2011 की जनगणना के अनुसार	2.54 करोड़
3	जनसंख्या घनत्व(2011) (अखिल भारतीय घनत्व=382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)		573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर
4	गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या (अखिल भारतीय औसत=21.92 प्रतिशत)		11.16 प्रतिशत
5	साक्षरता (2011) (अखिल भारतीय औसत=74.04 प्रतिशत)		76.64 प्रतिशत
6	शिशु मृत्यु - दर (प्रति 1000 सजीव जन्म) (अखिल भारतीय औसत=50 प्रति 1000 सजीव जन्म)		51
7	जन्म पर जीवन प्रत्याशा (अखिल भारतीय औसत=63.5 वर्ष)		66.2 वर्ष
8	गिनी सहकारी कारण <sup>1</sup>		
	क	ग्रामीण (अखिल भारतीय= 0.30)	0.28
	ख	शहरी (अखिल भारतीय= 0.37)	0.36
9	वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) 2012-13		₹ 3,53,440 करोड़
10	जी.एस.डी.पी. <sup>2</sup> सी.ए.जी.आर. <sup>3</sup> (2003-04 से 2012-13)		17.47 प्रतिशत
11	प्रति व्यक्ति जी.एस.डी.पी. सी.ए.जी.आर. (2002-03 से 2011-12)		13.78 प्रतिशत
12	जी.एस.डी.पी. सी.ए.जी.आर (2003-04 से 2011-12)	हरियाणा	17.82 प्रतिशत
13		अन्य सामान्य श्रेणी राज्य	14.94 प्रतिशत
14	जनसंख्या वृद्धि (2001-02 से 2010-11)	हरियाणा	19.90 प्रतिशत
15		अन्य सामान्य श्रेणी राज्य	17.56 प्रतिशत
ख	वित्तीय आंकड़े		
		विवरण	आंकड़े (प्रतिशत में)
			2002-03 से 2011-12
			2002-03 से 2012-13
सी.ए.जी.आर		सामान्य श्रेणी राज्य	हरियाणा
क	राजस्व प्राप्तियों का	17.48	15.21
ख	स्वयं का कर राजस्व	17.44	15.71
ग	कर-भिन्न राजस्व का	12.64	9.87
घ	कुल व्यय का	14.15	14.43
ङ	पूँजीगत व्यय का	16.83	38.98
च	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	16.85	19.27
छ	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	15.35	16.63
ज	वेतन एवं मजदूरियों का	14.18	15.00
झ	पेंशन का	18.36	19.59

स्रोत: वित्तीय डाटा, वित्तीय लेखाओं में आंकड़ों पर आधारित है। बी.पी.एल. (योजना आयोग तथा एस.एस.ओ. डाटा, 61वीं राऊंड), गिनी सहकारी कारण (योजना आयोग भा.स. दिनांक 18 अक्टूबर 2013 - राऊंड 2009-10 एम.आर.पी.), जन्म पर जीवन प्रत्याशा तथा शिशु मृत्यु दर (हरियाणा का आर्थिक सर्वेक्षण 2010-11) तथा जनसंख्या की सघनता (भारत की जनगणना 2011, अनन्तिम जनसंख्या योग, नीरज शेखर, निदेशक जनगणना परिचालन, हरियाणा द्वारा प्रकाशित)।

1. गिनी सहकारी कारण, आय संवितरण की असमानता का मापदण्ड है जहां शून्य पूर्ण समानता को सूचित करता है तथा एक पूर्ण असमानता को सूचित करता है।
2. सर.घ.उ. = सकल राज्य घरेलू उत्पाद।
3. सी.ए.जी.आर. = मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर। [सी.ए.जी.आर. का परिकलन=(((अन्तिम आंकड़ा/पहला आंकड़ा)<sup>1/समय वर्षों में</sup>)-1)\*100]

## परिशिष्ट 1.2

(संदर्भ: अनुच्छेद प्रस्तावना; पृष्ठ 1)

### भाग क: सरकारी लेखाओं का ढांचा एवं स्वरूप

<p><b>सरकारी लेखे का ढांचा:</b> राज्य सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं (i) समेकित निधि, (ii) आकस्मिक निधि, एवं (iii) लोक लेखा।</p> <p><b>भाग I: समेकित निधि:</b> राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, कोषालय बिलों को जारी करके वसूल किए सभी ऋण, आन्तरिक और बाह्य ऋण और राज्य सरकार द्वारा ऋण के पुनर्भुगतान में प्राप्त धन, भारत के संविधान की धारा 266(1) के अन्तर्गत स्थापित 'राज्य की समेकित निधि' शीर्षक एक समेकित निधि बनाएगी।</p> <p><b>भाग II: आकस्मिक निधि:</b> संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अन्तर्गत स्थापित राज्य की आकस्मिक निधि; अग्रदाय प्रकृति की है जो राज्य के राज्यपाल के अधिकाराधीन रखी जाती है ताकि राज्य विधायिका से प्राधिकार प्राप्त होने तक अत्यन्त आवश्यक अप्रत्याशित व्ययों को पूरा किया जा सके। ऐसे व्यय हेतु और समान राशि के आकस्मिक निधि से आहरण हेतु विधायिका का अनुमोदन बाद में प्राप्त कर लिया जाता है, तत्पश्चात् समेकित निधि से अग्रिमों की वापसी निधि को कर दी जाती है।</p> <p><b>भाग III: लोक लेखा:</b> अल्प बचतें, भविष्य निधियों, आरक्षित निधियों, जमाओं, प्रेषणों आदि जैसे कुछ सम्पादनों से सम्बन्धित प्राप्तियां एवं संवितरण जो समेकित निधि का अंश नहीं होती, को भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अन्तर्गत स्थापित लोक लेखे में रखा जाता है तथा उन पर राज्य विधायिका द्वारा मतदान नहीं किया जाता।</p>
---

परिशिष्ट 1.2 भाग - ख: वित्त लेखाओं का ले - आऊट	
विवरण	ले - आऊट
	वित्त लेखे दो खण्डों में भिन्नजित होते हैं। खण्ड - I - सामान्य रूप से समझा जाने वाले संक्षिप्त फार्म प्रारूप में सरकार के वित्तीय विवरणों को दर्शाता है वहीं इनका विस्तृत विवरण ख - II में दर्शाया जाता है। खण्ड I में भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र नीचे दिए गए चार संक्षिप्त विवरण एवं लेखाओं व लेखा योजना पर टिप्पणियां शामिल होते हैं।
विवरण संख्या - 1	<b>वित्तीय स्थिति की विवरणी:</b> सरकार के दायित्व एवं परिसम्पत्तियों जो वर्ष के अंत तक होती हैं के समेकित आँकड़े इस विवरण में दर्शाये जाते हैं। सम्पत्तियां वित्तीय सरकारी परिसम्पत्तियां होती हैं जिन पर अभी तक का पूंजीगत व्यय लेखाकरण योजना के अंतर्गत ऐतिहासिक लागत के अनुसार किया गया है।
विवरण संख्या - 2	<b>प्राप्तियां एवं संवितरण की विवरणी:</b> यह वर्ष के दौरान सरकार द्वारा रखे जाने वाले लेखों के तीनों भागों यथा - समेकित निधि, आकस्मिक निधि एवं लोक लेखा से किये गये सभी संवितरणों एवं प्राप्तियों का संक्षिप्त विवरण होता है। आगे, समेकित निधि में राजस्व व पूंजीगत खातों की प्राप्तियों एवं प्राप्तियों एवं व्ययों को अलग से दर्शाया जाता है।
विवरण संख्या - 3	<b>प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि)</b> इस विवरण में राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियां तथा भारत सरकार, अन्य संस्थान व बाजार से सरकार द्वारा लिए गए ऋणों से प्राप्तियां तथा सरकार द्वारा दिए ऋण एवं अग्रिमों की वसुलियों को दर्शाया जाता है।
विवरण संख्या - 4	<b>व्ययों की विवरणी (समेकित निधि)</b> इस विवरण में केवल कार्यों पर किए गये व्ययों को ही नहीं वरन् कार्यों के उद्देश्यों (गतिविधियां) पर किये गए व्ययों (व्यय का उद्देश्य) को भी संक्षिप्त में दर्शाया जाता है।
	इसके अतिरिक्त इस खण्ड में एक परिशिष्ट है, परिशिष्ट 1 जिसमें सरकार के रोकड शेष और रोकड शेषों के निवेश का विवरण है। दूसरे खण्ड में तीन भाग होते हैं। प्रथम भाग में निम्न छः विवरणियां होती हैं:
विवरण संख्या - 5	<b>संचित पूंजीगत व्ययों की विवरणी:</b> इस विवरणी में कार्यों में विस्तृत संचित पूंजीगत व्यय होते हैं, जिनके जोड़ विवरणी 1 में दर्शाये जाते हैं।
विवरण संख्या - 6	<b>कर्जें तथा अन्य देनदारियों की विवरणी:</b> सरकार के कर्जों में द्वारा लिए गए बाजार ऋण (आन्तरिक ऋण) तथा ऋण व अग्रिम जो भारत सरकार से प्राप्त किए गए, शामिल हैं। यह दोनों मिलकर राज्य सरकार के लोक ऋण में शामिल हैं। इसके अतिरिक्त यह संक्षिप्त विवरणी, अन्य देनदारियां जो कि लोक लेखे में विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत शेष हैं, को दर्शाती हैं। इस विवरणी में देन दारी सेवाओं पर टिप्पणी जैसे राजस्व प्राप्तियों से अदा किए गए निवल ब्याज प्रभार की मात्रा पर टिप्पणी शामिल होती है।
विवरण संख्या - 7	<b>सरकार द्वारा दिये ऋण की विवरणी:</b> राज्य सरकार द्वारा दिये गए ऋण एवं अग्रिम विवरणी - 1 में तथा वसूली संवितरण विवरणी संख्या 2, 3 व 4 में दर्शाये जाते हैं। इसमें ऋण एवं अग्रिम संक्षिप्त रूप क्षेत्र एवं ऋणी समूह अनुसार दर्शाया जाते हैं। इसमें नीचे उन ऋणों की बकाया वसूली के सम्बन्ध में टिप्पणी होती है जिनका विस्तृत विवरण महालेखाकार कार्यालय द्वारा तथा राज्य सरकार के विभागों द्वारा रखा जाता है।
विवरण संख्या - 8	<b>राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सहायतानुदान की विवरणी:</b> समूह अनुसार सहायतानुदान प्राप्त संगठनों द्वारा प्रबंधित किया जाता है। इसमें अनुदान के प्रकार के ऊपर टिप्पणी भी शामिल होती है।
विवरण संख्या - 9	<b>सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटी की विवरणी:</b> वैधानिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानिय निकायों व अन्य संगठनों द्वारा वर्ष के दौरान लिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियों एवं गारंटियों की धन राशि जो वर्ष के अंत बकाया हो का विवरण इसमें होता है।
विवरण संख्या - 10	<b>भारित एवं दत्तमत व्यय की विवरणी:</b> इस विवरणी में भारित एवं दत्तमत व्ययों का विवरण होता है।

परिशिष्ट 1.2 भाग-ख: वित्त लेखाओं का ले-आऊट	
विवरणी	ले-आऊट
	खण्ड-2, भाग-3 - इसमें खण्ड-1 व खण्ड-2 के भाग-1 संबंधित विवरणियों में दिये लघु शीर्षों के लेन देनों से संबंधित विस्तृत विवरणों को दर्शाने वाली नौ विवरणियाँ होती हैं।
विवरणी संख्या - 11	लघु शीर्ष अनुसार राजस्व व पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण: इसमें सरकार की राजस्व व पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण होता है।
विवरणी संख्या - 12	लघु शीर्ष अनुसार राजस्व व्ययों की विस्तृत विवरणी: इसमें सरकार के राजस्व व्ययों का विस्तृत विवरण होता है। इसमें योजनेतर तथा योजनागत व्ययों को अलग-अलग दर्शाया जाता है और पूर्व वर्ष के कार्यों के साथ उनकी तुलना भी दर्शाई जाती है।
विवरणी संख्या - 13	पूंजीगत व्ययों की विस्तृत विवरणी: इसमें सरकार के पूंजीगत व्ययों का विस्तृत विवरण होता है। इसमें योजनेतर व योजनेतर व्ययों को अलग-अलग दर्शाया जाता है और पूर्व वर्ष के व्ययों के साथ उनकी तुलना भी दर्शाई जाती है। संचित पूंजीगत व्यय जो वर्ष के अंत तक होते हैं उन्हें भी इसमें दर्शाया जाता है।
विवरणी संख्या - 14	सरकार के निवेशों की विस्तृत विवरणी : इस विवरणी में चालू वर्ष व गत व गत वर्ष में सरकार के हिस्सा पूंजी व ऋणपत्रों में किए गए विभिन्न प्रतिष्ठानों में निवेशों की स्थिति को दर्शाया जाता है। इसमें शेयर्स के प्रकार उनकी मूल कीमत व प्राप्त लाभांश को भी दर्शाया जाता है।
विवरणी संख्या - 15	आहरण एवं अन्य दायित्वों की विवरणी: इसमें आहरणों (सरकार द्वारा बाजार से लिए गए व भारत सरकार से लिए गए ऋणों) की लघु शीर्ष अनुसार व लिए गए सभी ऋणों की भुगतान तिथि एवं उनके पुनर्भुगतान का विवरण इस विवरणी में दर्शाया जाता है। यह विवरणी संख्या 6 में भाग 1 के खण्ड 11 से तत्संबंधित विस्तृत विवरणी है।
विवरणी संख्या - 16	सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण एवं अगिमों की विवरणी: इस विवरणी में सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों एवं अगिमों, उनके बदले हुए ऋण शेषों, बटटे खाते डाले ऋणों, ऋणों से प्राप्त ब्याज इत्यादि को दर्शाया जाता है। इसमें योजनागत ऋणों को भी अलग से दर्शाया जाता है। यह विवरणी संख्या 7 के भाग-1 खण्ड 11 से तत्संबंधित विस्तृत विवरणी है।
विवरणी संख्या - 17	राजस्व लेखों के अतिरिक्त व्ययों की निधियों के स्रोत एवं उनके क्रियान्वयन की विस्तृत विवरणी: इसमें पूंजीगत एवं अन्य व्ययों (राजस्व लेखों को छोड़कर तथा व्यय के लिए निधि के अन्य स्रोतों) के विस्तृत विवरण को दर्शाया जाता है।
विवरणी संख्या - 18	आकस्मिक निधि तथा अन्य लोक लेखा लेन-देनों की विस्तृत विवरणी: इस विवरणी में वर्ष के दौरान आकस्मिक निधि पर प्रभारित व्ययों, निधि के विनियोजन, व्ययों प्रतिपूर्ति धनराशि आदि को दर्शाया जाता है। इसमें लोक लेखा के लेन-देनों का विस्तृत विवरणी भी होता है।
विवरणी संख्या - 19	चिन्हित शेषों की विस्तृत विवरणी: इस विवरणी में लोक लेखा की संचित निधि से किए गए निवेशों का विस्तृत विवरण होता है।

**परिशिष्ट-1.3**

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.1; पृष्ठ 1)

**राजकोषीय स्थिति के निर्धारण हेतु अपनाई गई पद्धति**

राज्य सरकार द्वारा उनके वित्तीय उत्तरदायित्व अधिनियमों तथा अधिनियम के अन्तर्गत विधानसभा में प्रस्तुत की जानी अपेक्षित अन्य विवरणियों में की गई वचनबद्धताओं/प्रक्षेपणों तथा वित्तीय योगों के स्थापन हेतु इसके प्रक्षेपणों सहित चयनित वित्तीय परिवर्तों हेतु बारहवें वित्त आयोग (बा.वि.आ.) द्वारा निर्धारित मानक/सीमाएं, मुख्य वित्तीय योगों के प्रवाहों एवं पद्धति के गुणवत्ता निर्धारण हेतु प्रयोग किए जाते हैं। यह मानते हुए कि जी.एस.डी.पी. राज्य की अर्थव्यवस्था के निष्पादन की उत्तम सूचक है, कर तथा कर भिन्न राजस्व, जैसे मुख्य वित्तीय योगों राजस्व एवं पूंजीगत व्यय, आन्तरिक ऋण एवं राजस्व तथा वित्तीय घाटे, वर्तमान बाजार मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) की प्रतिशतता के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। जी.एस.डी.पी. द्वारा निरूपित आधार के संदर्भ में उचित वित्तीय परिवर्तों हेतु उत्प्लावकता सह-दक्षताएं भी यह निर्धारित करने हेतु परिकलित की गई है, कि संसाधनों का संचलन, व्यय की पद्धति इत्यादि आधार में परिवर्तन की गति के साथ रखे जा रहे हैं अथवा ये वित्तीय योग जी.एस.डी.पी. से अन्य घटकों द्वारा भी प्रभावित हैं।

गत पांच वर्षों हेतु जी.एस.डी.पी. में प्रवाह नीचे सूचित किए गए हैं:

**चालू दरों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) में प्रवाह**

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	1,82,522	2,23,600	2,65,034	3,07,606	3,53,440
जी.एस.डी.पी. की वृद्धि दर	20.40	22.51	18.53	16.06	14.90

स्रोत: निदेशालय आर्थिक एवं सांख्यिकी विश्लेषण, हरियाणा

नोट: आंकड़े, अस्थायी अनुमान 2010-11, त्वरित अनुमान 2011-12 तथा अग्रिम अनुमान 2012-13 पर हैं।

वित्तीय योगों के प्रवाहों एवं पद्धति के निर्धारण में प्रयुक्त चयनित शर्तों की कुछ परिभाषाएं नीचे दी गई हैं:

शब्दावली	गणना के आधार
पैरा मीटर के उत्प्लावकता	पैरामीटर की वृद्धि की दर/जी.एस.डी.पी. वृद्धि
अन्य पैरा मीटर (वाई) के सम्बन्ध में पैरामीटर (एक्स) की उत्प्लावकता	पैरामीटर (एक्स) की वृद्धि की दर/पैरामीटर (वाई) की वृद्धि की दर
वृद्धि की दर (आर.ओ.जी.)	$[(\text{चालू वर्ष राशि}/\text{गत वर्ष राशि})-1]*100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं
कुल व्यय	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + ऋण एवं अग्रिम
राज्य द्वारा प्रदत्त औसत ब्याज	$\text{ब्याज भुगतान}/[(\text{गत वर्षों की वित्तीय देयताओं की राशि} + \text{चालू वर्ष की वित्तीय देयताएं})2]*100$
ब्याज फैलाव	जी.एस.डी.पी. वृद्धि - औसत ब्याज दर
प्रमात्रा फैलाव	ऋण स्टॉक * ब्याज फैलाव
बकाया ऋणों के प्रतिशत के रूप में प्राप्त ब्याज	$\text{प्राप्त ब्याज} / [(\text{ऋण एवं अग्रिमों का प्रारम्भिक} + \text{अन्त शेष})2]*100$
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियां - राजस्व व्यय
वित्तीय घाटा	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम - राजस्व प्राप्तियां - विविध पूंजीगत प्राप्तियां
प्राथमिक घाटा	वित्तीय घाटा - ब्याज भुगतान
चालू राजस्व से शेष (बी.सी.आर.)	राजस्व प्राप्तियां घटा सभी योजनागत अनुदान तथा मुख्य शीर्ष 2048 के अन्तर्गत अभिलिखित व्यय को छोड़कर योजनेत्तर राजस्व व्यय-ऋण के परिहार की कटौती हेतु विनियोजन

**परिशिष्ट 1.4**  
(संदर्भ: अनुच्छेद 1.3; पृष्ठ 9)  
**राज्य सरकार के वित्तों पर समय क्रम आंकड़े**

(₹ करोड़ में)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
<b>भाग - क प्राप्तियां</b>					
<b>1. राजस्व प्राप्तियां</b>	<b>18,452</b>	<b>20,993</b>	<b>25,564</b>	<b>30,558</b>	<b>33,634</b>
<b>(i) कर राजस्व</b>	<b>11,655(63)</b>	<b>13,220(63)</b>	<b>16,790 (66)</b>	<b>20,399(67)</b>	<b>23,559(70)</b>
विक्रियों, व्यापार आदि पर कर	8,155(70)	9,032(68)	11,082 (66)	13,384(66)	15,377(65)
राज्य उत्पाद शुल्क	1,419(12)	2,059(16)	2,366 (14)	2,832(14)	3,236(14)
वाहनों पर कर	239(2)	277(2)	457 (3)	740(4)	887(4)
स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस	1,326(12)	1,294(10)	2,319 (14)	2,793(14)	33,26(14)
भू - राजस्व	9(-)	9	10	11	13
माल एवं यात्रियों पर कर	370(3)	392(3)	387 (2)	429(2)	471(2)
बिजली पर कर एवं शुल्क	106(1)	120(1)	130 (1)	166	192(1)
अन्य कर	31	37	39	44	57
<b>(ii) कर - भिन्न राजस्व</b>	<b>3,238(18)</b>	<b>2,741(13)</b>	<b>3,421 (13)</b>	<b>4,722(15)</b>	<b>4,673(14)</b>
<b>(iii) सघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा</b>	<b>1,725(9)</b>	<b>1,775(8)</b>	<b>2,302 (9)</b>	<b>2,682(9)</b>	<b>3,062(9)</b>
<b>(iv) भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान</b>	<b>1,834(10)</b>	<b>3,257(16)</b>	<b>3,051 (12)</b>	<b>2,755(9)</b>	<b>2,340(7)</b>
<b>2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>11</b>
<b>3. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां</b>	<b>352</b>	<b>213</b>	<b>233</b>	<b>294</b>	<b>349</b>
<b>4. कुल राजस्व एवं ऋणमुक्त पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+3)</b>	<b>18,811</b>	<b>21,215</b>	<b>25,805</b>	<b>30,861</b>	<b>33,994</b>
<b>5. लोक ऋण प्राप्तियां</b>	<b>3,888</b>	<b>8,455</b>	<b>9,843</b>	<b>10,767</b>	<b>15,213</b>
आन्तरिक ऋण (अर्धोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट रहित)	3,822(98)	8,320(98)	9,535 (97)	10,669(99)	15,162(100)
अर्धोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन - देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	66(2)	135(2)	308 (3)	98(1)	51
<b>6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)</b>	<b>22,699</b>	<b>29,670</b>	<b>35,648</b>	<b>41,628</b>	<b>49,207</b>
<b>7. आकस्मिक निधि प्राप्तियां</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>193</b>	<b>168</b>	<b>-</b>
<b>8. लोक लेखे प्राप्तियां</b>	<b>12,308</b>	<b>15,789</b>	<b>16,595</b>	<b>19,260</b>	<b>22,709</b>
<b>9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)</b>	<b>35,007</b>	<b>45,459</b>	<b>52,436</b>	<b>61,056</b>	<b>71,916</b>
<b>भाग - ख व्यय/संवित्त</b>					
<b>10. राजस्व व्यय</b>	<b>20,534</b>	<b>25,257</b>	<b>28,310</b>	<b>32,015</b>	<b>38,072</b>
योजनागत	3,918(19)	5,715(23)	6,251 (22)	7,792(24)	9,456(25)
योजनेत्तर	16,616(81)	19,542(77)	22,059 (78)	24,223 (76)	28,616(75)
सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतानों सहित)	6,024(30)	7,755(31)	9,328 (33)	10,220 (32)	11,897(31)
आर्थिक सेवाएं	7,035(34)	7,530(30)	7,997 (28)	9,054 (28)	11,557(30)
सामाजिक सेवाएं	7,259(35)	9,902(39)	10,904 (39)	12,641 (39)	14,516(38)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	216(1)	70(-)	81 (-)	99	102
<b>11. पूंजीगत व्यय</b>	<b>4,502</b>	<b>5,218</b>	<b>4,031</b>	<b>5,372</b>	<b>5,762</b>
योजनागत	3,990(89)	4,203(81)	3,845 (95)	4,354 (81)	4,191(73)
योजनेत्तर	512(11)	1,015(19)	186 (5)	1,018 (19)	1,571(27)
सामान्य सेवाएं	195(4)	187(4)	199 (5)	235 (5)	251(4)
आर्थिक सेवाएं	3,198(71)	3,961(76)	2,602 (65)	3,770 (70)	4,065(71)
सामाजिक सेवाएं	1,109(25)	1,070(20)	1,230 (31)	1,367 (25)	1,446(25)
<b>12. ऋणों एवं अग्रिमों का वितरण</b>	<b>332</b>	<b>830</b>	<b>722</b>	<b>627</b>	<b>522</b>
<b>13. कुल (10+11+12)</b>	<b>25,368</b>	<b>31,305</b>	<b>33,063</b>	<b>38,014</b>	<b>44,356</b>
<b>14. लोक ऋण के पुनर्भुगतान</b>	<b>1,292</b>	<b>2,746</b>	<b>3,971</b>	<b>4,037</b>	<b>5,951</b>
आन्तरिक ऋण (अर्धोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट रहित)	1,178(91)	2,576(94)	3,846 (97)	3,812 (94)	5,825(98)
अर्धोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन - देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम	114(9)	170(6)	125 (3)	225 (6)	126(2)
<b>15. आकस्मिक निधि के विनियोजन</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>190</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>16. समेकित निधि में से कुल संवितरण (13+14+15)</b>	<b>26,660</b>	<b>34,051</b>	<b>37,224</b>	<b>42,051</b>	<b>50,307</b>
<b>17. आकस्मिक निधि संवितरण</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>168</b>	<b>-</b>
<b>18. लोक लेखे संवितरण</b>	<b>11,442</b>	<b>14,320</b>	<b>15,324</b>	<b>17,051</b>	<b>21,074</b>
<b>19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)</b>	<b>38,102</b>	<b>48,371</b>	<b>52,551</b>	<b>59,270</b>	<b>71,381</b>
<b>भाग ग - घाटा/आधिक्य</b>					
20. राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+) (1-10)	(-) 2,082	(-) 4,264	(-) 2,746	(-) 1,457	(-) 4,438
21. राजकोषीय घाटा (-)/आधिक्य (+) (4-13)	(-) 6,557	(-) 10,090	(-) 7,258	(-) 7,153	(-) 10,362
22. प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य (+) (21+23)	(-) 4,218	(-) 7,353	(-) 3,939	(-) 3,152	(-) 5,618

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष हेतु राज्य के वित्तों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
भाग - घ अन्य आंकड़े					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	2,339	2,737	3,319	4,001	4,744
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	2,053	1,947	2,223	3,306	4,648
25. अर्थोपाय अग्रिम (अ.अ.)/प्राप्त ओवर ड्राफ्ट (दिनों में)	92(5)	170(7)	670(8)	974(11)	347(12)
26. अ.अ./ओवर ड्राफ्ट पर ब्याज <sup>4</sup>	0.04	0.05	1.16	1.51	0.78
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) <sup>5</sup>	1,82,522	2,23,600	2,65,033	3,07,606	3,53,440
28. बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्ष के अन्त में)	32,278	39,337	46,282	54,540	64,818
29. ब्याज तथा गारंटी फीस सहित बकाया गारंटियां (वर्ष के अन्त में)	4,575	4,536	4,528	5,608	21,124
30. गारंटी दी गई अधिकतम राशि (वर्ष के अन्त में)	5,188	4,757	5,515	10,690	31,958
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	29	15	21	8	14
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरूढ़ पूंजी (₹ करोड़ में)	85.60	30.00	41	186	48
<b>भाग - ई राजकोषीय स्थिति सूचक</b>					
<b>I संसाधन गतिशीलता</b>					
स्वयं का कर राजस्व/जी.एस.डी.पी.	0.064	0.059	0.063	0.066	0.067
स्वयं का कर - भिन्न राजस्व/जी.एस.डी.पी.	0.018	0.012	0.013	0.015	0.013
केन्द्रीय अन्तरण/जी.एस.डी.पी.	0.009	0.008	0.009	0.009	0.009
<b>II व्यय प्रबन्ध</b>					
कुल व्यय/जी.एस.डी.पी.	0.139	0.140	0.125	0.124	0.125
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियां	1.375	1.491	1.293	1.244	1.319
राजस्व व्यय/कुल व्यय	0.809	0.807	0.856	0.842	0.858
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.330	0.364	0.367	0.368	0.360
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.409	0.374	0.321	0.337	0.352
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.177	0.167	0.122	0.141	0.130
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.170	0.161	0.116	0.135	0.124
<b>III राजकोषीय असंतुलनों का प्रबन्ध</b>					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/जी.एस.डी.पी.	(-) 0.011	(-) 0.019	(-) 0.010	(-) 0.005	(-) 0.013
राजकोषीय घाटा/जी.एस.डी.पी.	(-) 0.036	(-) 0.045	(-) 0.027	(-) 0.023	(-) 0.029
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/जी.एस.डी.पी.	(-) 0.023	(-) 0.033	(-) 0.015	(-) 0.010	(-) 0.016
राजस्व घाटा/विनीय घाटा	0.318	0.423	0.378	0.204	0.428
प्राथमिक राजस्व शेष/जी.एस.डी.पी.	(-) 0.022	(-) 0.032	(-) 0.021	(-) 0.012	(-) 0.017
<b>IV राजकोषीय देयताओं का प्रबन्ध</b>					
राजकोषीय देयताएं/जी.एस.डी.पी.	0.177	0.176	0.175	0.177	0.183
विनीय देयताएं/आर.आर	1.749	1.187	1.810	1.785	1.927
परिमात्रा विस्तार की तुलना में प्राथमिक घाटा	(-) 1.437	(-) 4.181	(-) 1.004	0.924	(-) 2.044
ऋण विमोचन (मूल + ब्याज)/कुल ऋण प्राप्तियां	0.897	0.740	0.831	0.810	0.806
<b>V अन्य राजकोषीय स्थिति सूचक</b>					
निवेश पर रिटर्न	8.27	9.60	2.48	1.64	7.05
वर्तमान राजस्व से शेष (₹ करोड़ में)	572	(-)117	2,326	4,977	3,741
विनीय परिसम्पत्तियां/देयताएं	0.88	0.80	0.77	0.78	0.75

4 अर्थोपाय अग्रिमों पर ₹ 0.78 करोड़ का ब्याज सात से दस प्रतिशत की दर पर दिया गया था।

5 आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण, हरियाणा के डायरेक्टोरेट द्वारा वर्तमान मूल्यों पर जी.एस.डी.पी. आंकड़ें संचारित थे। 2010-11 के लिए जी.एस.डी.पी. के आंकड़ों अस्थाई अनुमान पर हैं, 2011-12 तुरन्त अनुमान और 2012-13 अग्रिम अनुमान पर हैं।

**परिशिष्ट 1.5 भाग - क**  
(संदर्भ: अनुच्छेद 1.9.1; पृष्ठ 33)  
वर्ष 2012 - 13 हेतु प्राप्तियों एवं सवितरणों का सार

(₹ करोड़ में)

	प्राप्तियां			सवितरण				
	2011-12	2012-13		2011-12	2012-13			
				नान-प्लान	प्लान	कुल		
भाग क: राजस्व								
<b>I. राजस्व प्राप्तियां</b>	<b>30,557.59</b>		<b>33,633.53</b>	<b>I. राजस्व व्यय</b>	<b>32,014.89</b>	<b>28,615.73</b>	<b>9,455.99</b>	<b>38,071.72</b>
कर राजस्व	20,399.46	23,559.00		सामान्य सेवाएं	10,219.83	11817.41	79.34	11,896.75
कर भिन्न राजस्व	4,721.65	4,673.15		सामाजिक सेवाएं	12,641.67	7666.10	6,850.25	14,516.35
संघीय करों का राज्य का हिस्सा	2,681.55	3,062.13		शिक्षा, खेल, कला एवं साहित्य	6,288.47	5009.47	2,014.04	7,023.51
योजनेतर अनुदान	1,246.51	851.62		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,198.08	805.33	791.52	1,596.85
राज्य प्लान स्कीमों हेतु अनुदान	674.54	727.75		जल आपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	2,312.86	1116.76	1,611.43	2,728.19
केन्द्रीय एवं केन्द्रीय पोषित प्लान स्कीमों के लिए अनुदान	833.88	759.88		सूचना एवं प्रसारण	63.71	35.00	29.74	64.74
				अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	249.46	141.98	194.46	336.44
				श्रम एवं श्रम कल्याण	215.53	162.49	70.16	232.65
				समाज कल्याण एवं पोषण	2,307.74	388.33	2,138.89	2,527.22
				अन्य	5.82	6.75	-	6.75
				<b>आर्थिक सेवाएं</b>	<b>9,053.97</b>	<b>9030.33</b>	<b>2,526.40</b>	<b>11,556.73</b>
				कृषि एवं सहायक गतिविधियां	1,421.09	819.97	885.65	1,705.62
				ग्रामीण विकास	1,097.17	236.84	1,053.12	1,289.96
				विशेष क्षेत्र कार्यक्रम				
				सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	997.22	818.77	240.68	1,059.45
				ऊर्जा	3,591.24	5135.83	4.47	5,140.30
				उद्योग एवं खनिज	89.16	35.62	51.28	86.90
				परिवहन	1,592.85	1942.17	167.86	2,110.03
				विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	11.96	6.33	19.68	26.01
				अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	253.29	34.81	103.65	138.46
				सहायता अनुदान तथा अंशदान	<b>99.42</b>	<b>101.89</b>	-	<b>101.89</b>
<b>II. भाग ख को अगनीत राजस्व घटा</b>	<b>1,457.30</b>		<b>4438.19</b>	<b>भाग ख को अगनीत राजस्व आधिक्य</b>				
<b>योग भाग क</b>	<b>32,014.89</b>		<b>38,071.72</b>		<b>32,014.89</b>	<b>28,615.73</b>	<b>9,455.99</b>	<b>38,071.72</b>
भाग ख - अन्य								
<b>III. स्थायी अगिमें एवं नकद शेष निवेश सहित आरम्भिक नकद शेष</b>	<b>376.84</b>		<b>2161.75</b>	<b>III. भारतीय रिजर्व बैंक से आरम्भिक ओवरड्राफ्ट</b>				
<b>IV. विविध पूंजीगत प्राप्तियां</b>	<b>9.24</b>		<b>10.81</b>	<b>IV. पूंजीगत परिव्यय</b>	<b>5,372.34</b>	<b>1570.54</b>	<b>4,191.30</b>	<b>5,761.84</b>
				सामान्य सेवाएं	235.32	-	250.60	250.60
				सामाजिक सेवाएं	1,367.41	-	1,445.99	1,445.99
				शिक्षा, खेल, कला एवं साहित्य	75.79	-	123.11	
				स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	50.03	-	4.05	
				जलापूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	1,175.30	-	1,198.59	
				अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1.00	-	1.00	
				समाज कल्याण एवं पोषण	21.10	-	58.70	
				अन्य	44.19	-	60.54	

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष हेतु राज्य के वित्तों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

प्राप्तियाँ				संवितरण				
2011-12		2012-13		2011-12		2012-13		
				नान - प्लान		प्लान		
						कुल		
				आर्थिक सेवाएं	3,769.61	1,570.54	2,494.71	4,065.25
				कृषि एवं सहायक गतिविधियां	1,031.59	1,568.09	91.46	1,659.55
				सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	887.29	-	887.46	887.46
				ऊर्जा	801.60		198.62	198.62
				उद्योग एवं खनिज	20.37		2.22	2.22
				परिवहन	1,008.76	2.45	1,292.95	1,295.40
				सामान्य आर्थिक सेवाएं	20.00		22.00	22.00
V. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	294.12		349.38	V. संवितरित ऋण एवं अग्रिम	627.07	237.79	284.20	521.99
बिजली परियोजनाओं से	30.07		9.34	बिजली परियोजनाओं हेतु	157.09		73.86	73.86
सरकारी कर्मचारियों से	175.51		187.60	सरकारी कर्मचारियों को	268.55	237.79		237.79
अन्यों से	88.54		152.44	अन्यों को	201.43		210.34	210.34
VI राजस्व आधिक्य नीचे लाया गया			-	VI. राजस्व घाटा नीचे लाया गया	1,457.30			4,438.19
VII. लोक ऋण प्राप्तियां	10,766.83		15,213.54	VII. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	4,037.14			5,951.37
बाह्य ऋण				बाह्य ऋण				
अर्थोपाय अग्रिमों तथा ओवरड्राफ्ट से अन्य आन्तरिक ऋण	10,669.11		15,162.39	अर्थोपाय अग्रिमों तथा ओवरड्राफ्ट से अन्य आन्तरिक ऋण	3,812.25			5,824.68
अर्थोपाय अग्रिमों के अग्रिम निवल संपादन	-		--	अर्थोपाय अग्रिमों के अन्तर्गत निवल संपादन				--
केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	97.72		51.15	केन्द्रीय सरकार को ऋण एवं अग्रिमों का पुनर्भुगतान	224.89-			126.69
VIII. आकस्मिक निधि का विनियोजन	-		-	VIII. आकस्मिक निधि का विनियोजन				-
IX. आकस्मिक निधि से हस्तांतरित राशि	167.52		-	IX. आकस्मिक निधि से व्यय	167.52			-
X. लोक लेखा प्राप्तियां	19,259.75		22,708.90	X. लोक लेखा संवितरण	17,051.18			21,073.88
लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि.	2,198.62	2,310.94		लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि.	1,480.09		1,852.98	
आरक्षण निधियां	442.62	666.68		आरक्षण निधियां	76.75		106.01	
उच्चतम एवं विविध	788.97	652.76		उच्चतम एवं विविध	706.23		560.82	
प्रेषण	5,657.68	5,928.62		प्रेषण	5,442.80		6,001.22	
निक्षेप एवं अग्रिम	10,171.86	13,149.90		निक्षेप एवं अग्रिम	9,345.31		12,552.85	
XI. रिजर्व बैंक आफ इंडिया से संवरण ओवरड्राफ्ट				XI. समाप्ति पर नकद शेष	2,161.75			2,697.11
				कोषालयों तथा स्थानीय प्रेषणों में नकद	0.54		0.54	
				रिजर्व बैंक के साथ निक्षेप	(-) 50.00		164.43	
				स्थायी अग्रिमों इत्यादि सहित विभागीय नकद शेष	2.83		2.28	
				नकद शेष निवेश एवं उद्दिष्ट निवेश	2,208.38		2,529.86	
योग भाग - ख	30,874.30		40,444.38	योग	30,874.30			40,444.38

**परिशिष्ट 1.5 भाग ख**  
**(संदर्भ: अनुच्छेद 1.9.2; पृष्ठ 33)**  
**31 मार्च 2013 को राज्य सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति**  
**(₹ करोड़ में)**

31 मार्च 2012 को	देयताएं	31 मार्च 2013 को
<b>39,342.84</b>	आन्तरिक ऋण	<b>48,680.54</b>
21,081.73	ब्याज युक्त बाजार ऋण	29,656.16
2.37	ब्याज रहित बाजार ऋण	2.31
6.85	जीवन बीमा निगम से ऋण	4.38
6,656.69	अन्य संस्थाओं इत्यादि से ऋण	7,514.05
11,595.20	केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विगेष प्रतिभूतियां	11,503.64
<b>2,053.27</b>	केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	<b>1,977.73</b>
	1984 - 85 से पूर्व के ऋण	
25.50	योजनेत्तर ऋण	25.28
1,993.83	स्टेट प्लान स्कीमों हेतु ऋण	1,920.42
9.56	केन्द्रीय प्लान स्कीमों हेतु ऋण	8.60
24.38	केन्द्रीय पोषित प्लान स्कीमों हेतु ऋण	23.43
<b>200.00</b>	आकस्मिक निधि	<b>200.00</b>
<b>8,937.68</b>	लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि	<b>9,395.64</b>
<b>3,891.57</b>	निक्षेप	<b>4,488.54</b>
<b>2,152.24</b>	आरक्षण निधियां	<b>2,712.91</b>
<b>37.48</b>	उच्चत तथा विविध षेष	<b>129.46</b>
<b>230.08</b>	प्रेषण षेष	<b>157.48</b>
<b>56,845.16</b>		<b>67,742.30</b>
31 मार्च 2012 को	परिसम्पत्तियां	31 मार्च 2013 को
<b>38,773.15</b>	स्थायी परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय	<b>44,524.18</b>
6,981.91	कम्पनियों, निगमों इत्यादि के शेयरों में निवेश	7,240.02
31,791.24	अन्य पूंजीगत परिव्यय	37,284.16
<b>3,315.88</b>	ऋण एवं अग्रिम	<b>3,488.48</b>
586.00	बिजली परियोजनाओं हेतु ऋण	650.52
2,114.29	अन्य विकास ऋण	2,172.17
615.59	सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण	665.79
<b>0.86</b>	अग्रिम	<b>0.78</b>
-	उच्चत एवं विविध षेष	-
-	प्रेषण षेष	-
<b>2,161.75</b>	नकद	<b>2,697.11</b>
0.54	कोषालयों में नकद तथा स्थानीय प्रेषण	0.54
(-) 50.00	रिजर्व बैंक में निक्षेप	164.43
2.72	विभागीय नकद षेष	2.17
0.11	स्थायी अग्रिम	0.11
370.74	नकद षेष निवेश	92.46
1,837.64	आरक्षण निधि निवेश	2,437.40
<b>12,593.52</b>	सरकारी लेखाओं पर घाटा	<b>17,031.75</b>
1,457.30	(i) राजस्व आधिक्य/चालू वर्ष का घाटा	(-)
		4,438.19
11,136.22	(ii) गत वर्ष तक संचित घाटा	12,593.52
	(iii) विविध सरकारी लेखे <sup>6</sup>	0.04
<b>56,845.16</b>	<b>कुल</b>	<b>67,742.30</b>

परिशिष्ट 1.3 तथा 1.4 हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणी:—आगे विवरणियों में सक्षिप्त लेखे, वित्त लेखाओं में टिप्पणियों एवं व्याख्याओं के साथ पढ़े जाने हैं। सरकारी लेखे मुख्यतः नकद आधार पर होने के कारण, सरकारी लेखे पर घाटा, जैसा कि परिशिष्ट 1.5 में दर्शाया गया है, नकद आधार पर स्थिति सूचित करता है जो वाणिज्यिक लेखांकन में अर्जन आधार के विरुद्ध है। परिणामतः, देय अथवा प्राप्य मदें अथवा स्टाक आंकड़ों में हास अथवा भिन्नता जैसे मदें लेखे में लेखाबद्ध नहीं होती। उच्चत एवं विविध षेषों में, जारी किए गए परन्तु भुगतान नहीं किए गए चैक, राज्य की ओर से किए गए भुगतान तथा अन्य लम्बित समायोजन इत्यादि सम्मिलित हैं। लेखाओं में दर्शाए गए तथा “भारतीय रिजर्व बैंक में निक्षेप” के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 31 मार्च 2013 को सूचित किए गए आंकड़ों में ₹ 6.35 करोड़ (जमा) का अंतर था। अंतर मिलान अधीन था (अगस्त 2013)।

<sup>6</sup> मुख्य शीर्ष “8680-विविध सरकारी लेखे” के अंतर्गत षेष को बंद करते हुए लेखाशीर्ष से बट्टे खाते डाले गए।

**परिशिष्ट 1.6**

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.1.1; पृष्ठ 3)

वर्ष 2012 - 13 के लिए तेरहवें वित्त आयोग, राजकोषीय सुधार पथ तथा मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरणी के अन्तर्गत निर्धारण/प्रक्षेपणों की विवरणी

(₹ करोड़ में)

विवरण	ते.वि.आ. द्वारा निर्धारण	रा.सु.प. में प्रक्षेपण	म.अ.रा.नी.वि. में प्रक्षेपण
सकल राज्य घरेलू उत्पाद			
स्वयं का कर राजस्व	23153.80	24475.00	23873.28
स्वयं का कर - भिन्न राजस्व	14980.57	4915.00	4804.54
स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	38134.37	29390.00	28677.82
योजनेतर राजस्व व्यय	20359.91	27410.00	28613.65
योजनागत राजस्व व्यय	-	7910.00	11169.87
वेतन	7253.05	9810.00	11438.45
ब्याज भुगतान	4616.26	4620.00	5112.45
पेंशन	2346.58	3640.00	3470.00
परिदान - विद्युत	-	3650.00	5129.13
राजस्व घाटा	शून्य	शून्य	
राजकोषीय घाटा		स.रा.घ.उ. का 3 प्रतिशत	स.रा.घ.उ. का 2.06 प्रतिशत
बकाया ऋण		स.रा.घ.उ. का 22.7 प्रतिशत	स.रा.घ.उ. का 16.36 प्रतिशत
देयताएं		60745.00	60437.04

## परिशिष्ट 1.7

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.8.3; पृष्ठ 29)

अन्ततम वर्ष, जिसके लिए लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया था, में हानियों में चल रहे सांविधिक निगमों एवं सरकारी कंपनियों की वित्तीय स्थिति

क्र. सं.	सरकारी कम्पनियां	निवेश (2011-12 तक)	संचित हानि	लेखा वर्ष
		(₹ करोड़ में)		
1.	हरियाणा पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिकतः कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़	21.52	9.33	2008-09
2.	हरियाणा राज्य लघु सिंचाई (नलकूप) निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़	10.89	333.68	2011-12
3.	हरियाणा टैनरीज लिमिटेड, चण्डीगढ़	1.17	10.58	2011-12
4.	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़	185.74	25.28	2011-12
5.	हरियाणा राज्य लघु उद्योग तथा निर्यात निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़	1.81	27.22	2011-12
6.	हरियाणा राज्य हथकरघा तथा हस्तशिल्प निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़	2.65	6.18	2011-12
7.	हरियाणा विद्युत उत्पादन लिमिटेड, पंचकूला	2,735.24	264.02	2011-12
8.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, पंचकूला	938.67	12,423.62	2011-12
9.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, हिसार	855.74	4,306.97	2011-12
10.	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, पंचकूला	1,772.24	22.09	2008-09
11.	हरियाणा वित्त निगम	201.83	163.26	2011-12
12.	हरियाणा अनुसूचित जाति एवं वित्त विकास निगम	29.81	1.07	2007-08
<b>कुल</b>		<b>6,757.31</b>	<b>17,593.30</b>	

**परिशिष्ट 1.8**  
(संदर्भ: अनुच्छेद 1.8.4; पृष्ठ 29)  
**विभागीय तौर पर प्रबन्धित वाणिज्यिक/अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों की सारांशित वित्तीय स्टेटमेंट**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	लेखाओं की अवधि	गत खाते के अनुसार नियोजित पूंजी	साधन सरकारी पूंजी	हास मूल्य पर ब्लाक परिसम्पत्तियां	वर्ष के दौरान प्रावधान किया गया हास	टर्नओवर	निवल लाभ/हानि	पूंजी पर ब्याज	कुल रिटर्न (9+10)	पूंजी पर रिटर्न प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	कृषि विभाग (बीज डीपो स्कीम)	1987-88	-	-	-	-	0.03	(-) 0.10	-	(-) 0.10	-
2.	कृषि विभाग (कीटनाशियों का क्रय एवं वितरण)	1986-87	0.82	1.68	-	-	1.67	0.13	-	0.13	7.74
3.	मुद्रण एवं लेखन (राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक स्कीम)	2006-07	25.20	21.58	0.09	0.01	15.95	1.26	1.48	2.74	13
4.	खाद्य एवं आपूर्ति (अनाज आपूर्ति स्कीम)	2011-12	3,670.78	3,695.99	-	-	3,441.00	(-) 230.01	-	230.01	--
5.	परिवहन विभाग हरियाणा रोड़वेज	2008-09	606.07	564.25	584.36	1.17	616	(-) 202.28	38.7	163.58	-
<b>कुल</b>			<b>4,302.87</b>	<b>4,283.50</b>	<b>584.45</b>	<b>1.18</b>	<b>4,074.65</b>	<b>(-) 431.00</b>	<b>40.18</b>	<b>(-) 390.82</b>	

## परिशिष्ट 1.9

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.8.5; पृष्ठ 30)

पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अन्तर्गत पूर्ण की गई मूलभूत संरचना  
परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	परियोजना का नाम	विभाग/एजेंसी	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	संरचना (बी.ओ.ओ.टी. / बी.ओ.टी.)	पूर्णता की तारीख
1.	फरीदाबाद में दिल्ली-आगरा रेलवे लाईन पर ओवर ब्रिज तथा इसकी अप्रोचिज का निर्माण	लोक निर्माण विभाग	6.94	बी.ओ.टी.	29 सितम्बर 2000
2.	यमुनानगर-पिपली-पेहोवा मार्ग पर कुरूक्षेत्र में दो लेन वाला रेलवे ओवर ब्रिज	लोक निर्माण विभाग	16.00		मार्च 2007
3.	फरीदाबाद जिले में बल्लभगढ़ में बल्लभगढ़-सोहना मार्ग पर लेवल क्रॉसिंग सं. 575-बी के बदले में रेलवे ओवर ब्रिज तक पहुंचने के लिए दो लेन मार्ग का निर्माण	लोक निर्माण विभाग	24.00		सितम्बर 2000
4.	औद्योगिक पार्क, सैक्टर-33-34, फरीदाबाद का विकास	हुडा	60.00	एम.ओ.आई.	26 जून 2009
5.	सैक्टर 3, पंचकुला में क्रिकेट स्टेडियम का उन्नयन तथा पट्टे पर देना	हुडा	4.00	बी.ओ.टी.	21 दिसम्बर 2007
6.	सैक्टर 38, गुडगांव में क्रिकेट स्टेडियम का उन्नयन तथा पट्टे पर देना	हुडा	4.00	बी.ओ.टी.	25 मार्च 2008
7.	100 गांवों में 100 रिजर्वड ओसमोसिस संयंत्रों का प्रतिष्ठापन	जन स्वास्थ्य विभाग	11.25	बी.ओ.टी.	31 मार्च 2010
8.	अबूब शहर में पैक हाऊस सह कोल्ड स्टोरेज की सुविधा	एच.एस.ए.एम.बी	5.70		पूर्ण किया गया
9.	पंचकुला में पैक हाऊस सह कोल्ड स्टोरेज की सुविधा	एच.एस.ए.एम.बी	2.21		पूर्ण किया गया
10.	हिसार में पैक हाऊस सह कोल्ड स्टोरेज की सुविधा	एच.एस.ए.एम.बी	2.21		पूर्ण किया गया
11.	नारनौल में पैक हाऊस सह कोल्ड स्टोरेज की सुविधा	एच.एस.ए.एम.बी	2.21		पूर्ण किया गया
12.	रोहतक में पैक हाऊस सह कोल्ड स्टोरेज की सुविधा	एच.एस.ए.एम.बी	5.16		पूर्ण किया गया
13.	करनाल में पैक हाऊस सह कोल्ड स्टोरेज की सुविधा	एच.एस.ए.एम.बी	3.77		पूर्ण किया गया
14.	कुरूक्षेत्र में पैक हाऊस सह कोल्ड स्टोरेज की सुविधा	एच.एस.ए.एम.बी	5.63		पूर्ण किया गया
15.	फरीदाबाद में पैक हाऊस सह कोल्ड स्टोरेज की सुविधा	एच.एस.ए.एम.बी	3.90		पूर्ण किया गया
16.	जौद में पैक हाऊस सह कोल्ड स्टोरेज की सुविधा	एच.एस.ए.एम.बी	2.21		पूर्ण किया गया
17.	यमुनानगर में पैक हाऊस सह कोल्ड स्टोरेज की सुविधा	एच.एस.ए.एम.बी	3.90		पूर्ण किया गया
18.	ब्रज्जर पावर ट्रांसमिशन परियोजना	एच.वी.पी.एन.एल.	382.00	डी.बी.एफ.ओ.टी.	जनवरी 2012
19.	गवर्नमेंट सीनियर सैकेंडरी स्कूलों में निशुल्क कंप्यूटर शिक्षा कार्यक्रम	स्कूल शिक्षा	18.30	सेवा करार	31 मार्च 2010
20.	गवर्नमेंट सीनियर सैकेंडरी स्कूलों में निशुल्क कंप्यूटर शिक्षा कार्यक्रम	स्कूल शिक्षा	9.53	सेवा करार	31 मार्च 2010
21.	गुडगांव-फरीदाबाद तथा बल्लभगढ़-सोहना मार्गों का डिजाइन, इंजीनियरिंग, फाईनांस, कस्ट्रक्शन, ओपेशन एण्ड मैटीनेंस	लोक निर्माण विभाग	180.00	बी.ओ.टी.	जून 2012
कुल			752.92		

परिशिष्ट 1.10

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.8.5; पृष्ठ 30)

कार्यान्वयनाधीन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मूलभूत संरचना परियोजनाओं का व्यौरा

क्र. सं.	परियोजना का नाम	विभाग/एजेंसी	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	संरचना (बी.ओ.ओ.टी./बी.ओ.टी.)	प्रदानगी की तारीख	पूर्णता की संभावित तारीख
1.	राय मलिकपुर का विकास (राजस्थान सीमा) - हरियाणा राज्य में नारनौल - महेन्द्रगढ़ - दादरी - भिवानी - खडक गलियारा	लो.नि.वि. (भ. व स.)	1,201.70	डी.बी.एफ.ओ. टी.	31 जनवरी 2012	परियोजना जनवरी 2012 में घोषित की गई थी और समझौते पर 30 नवंबर 2012 को हस्ताक्षर किए गए थे।
2.	कुण्डली मानेसर पलवल (के.एम.पी.) एक्सप्रेसवे का निर्माण	एच.एस.आई.आई. डी.सी.	2,310.00	बी.ओ.टी.	14 नवम्बर 2005	69 प्रतिशत भौतिक प्रगति प्राप्त की जा चुकी है। एजेंसी के विरुद्ध अप्रैल 2013 में ₹ 23.52 करोड़ की पैनल्टी लगाई गई थी किंतु मई 2013 तक कोई वसूली नहीं हुई थी।
3.	गुडगांव में मनोरंजन पार्क का निर्माण	एच.एस.आई.आई. डी.सी.	230.00	संयुक्त उद्यम	01 अप्रैल 2004	सम्पूर्ण परियोजना अगस्त 2013 तक पूर्ण की जानी थी।
4.	रिलायंस विशेष आर्थिक जोन लिमिटेड, गुडगांव	एच.एस.आई.आई. डी.सी.	12,500.00	संयुक्त उद्यम	19 जून 2006	एजेंसी ने भूमि की अपेक्षित प्रमात्रा (12,500 एकड़) प्राप्त करने में अपनी असमर्थता दर्शाई तथा एच.एस.आई.आई.डी.सी. को 1,383.68 एकड़ भूमि वापस करने का प्रस्ताव दिया (जनवरी 2012)।
5.	रिलायंस विशेष आर्थिक जोन लिमिटेड, अजंजर	एच.एस.आई.आई. डी.सी.	12,500.00	संयुक्त उद्यम	19 जून 2006	नौ वर्षों की अवधि के दौरान तीन चरणों में कार्यान्वित की जानी है।
6.	यूनिटेक विशेष आर्थिक जोन लिमिटेड, कुण्डली - सोनीपत	एच.एस.आई.आई. डी.सी.	22,000.00	संयुक्त उद्यम	04 अप्रैल 2007	दो चरणों में कार्यान्वित की जानी है।
7.	पेट्रोकेमिकल हब, पानीपत	एच.एस.आई.आई. डी.सी.	3,730.00	संयुक्त उद्यम	14 अप्रैल 2006	2016 तक दो चरणों में कार्यान्वित की जानी है।
8.	नैनोसिटी, पंचकुला	एच.एस.आई.आई. डी.सी.	1,846.00	संयुक्त उद्यम	31 अक्टूबर 2006	दो चरणों में कार्यान्वित की जानी है।
9.	यूरोपियन टेक्नोलोजी पार्क, फरीदाबाद	एच.एस.आई.आई. डी.सी.	1,448.00	संयुक्त उद्यम	10 अक्टूबर 2006	दो चरणों में कार्यान्वित की जानी है।
10.	सेक्टर 29, गुडगांव में आडीटोरियम भवन को पट्टे पर देना	एच.यू.डी.ए.	40.00	बी.ओ.टी.	15 फरवरी 2008	फरवरी 2010
11.	दिल्ली मेट्रो सिकन्दरपुर से एन.एच. -8, गुडगांव तक मेट्रो लिंक का विकास	एच.यू.डी.ए.	900.00	बी.ओ.टी.	16 जुलाई 2009	जुलाई 2012

क्र. सं.	परियोजना का नाम	विभाग/एजेंसी	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	संरचना (बी.ओ.ओ.टी./बी.ओ.टी.)	प्रदानगी की तारीख	पूर्णता की संभावित तारीख
12.	सामान्य सेवा केन्द्र स्कीम	हारट्रोन	18.00	बी.ओ.टी.	17 अप्रैल 2007	वर्तमान में निष्क्रिय। वैकल्पिक मॉडलों का अध्ययन किया जा रहा है। आई.टी. विभाग विश्लेषण तथा नए मॉडल विकसित करेगा।
13.	आई.सी.टी. स्कीम के अन्तर्गत पूर्ण सुविधा प्रबंध	स्कूल शिक्षा	39.78	बी.ओ.ओ./बी.ओ.ओ.टी.	19 नवम्बर 2009	18 नवम्बर 2014
14.	आई.सी.टी. स्कीम के अन्तर्गत पूर्ण सुविधा प्रबंध	स्कूल शिक्षा	11.22	बी.ओ.ओ./बी.ओ.ओ.टी.	25 नवम्बर 2009	24 नवम्बर 2014
15.	213 गवर्नमेंट सीनियर सैकेंडरी स्कूलों में आई.सी.टी. स्कीम के अन्तर्गत विस्तृत कम्प्यूटर शिक्षा परियोजना	स्कूल शिक्षा	47.00	बी.ओ.ओ./बी.ओ.ओ.टी.	03 मार्च 2010	अप्रैल 2015
कुल			58,821.70			

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.1; पृष्ठ 52)

विभिन्न अनुदानों/एप्रोप्रिएशनो, जहां प्रत्येक मामले में बचतें ₹ 10 करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी, की स्टेटमेंट

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं.	अनुदान/एप्रोप्रिएशन का नाम	कुल अनुदान/एप्रोप्रिएशन	बचतें	बचत की प्रतिशतता
<b>राजस्व (वोटिड)</b>					
1	4	राजस्व	923.08	358.99	39
2	7	योजना तथा सांख्यिकी	392.48	270.60	69
3	8	भवन एवं सड़कें	1,148.48	70.41	6
4	9	शिक्षा	8,182.35	1,591.65	19
5	10	तकनीकी शिक्षा	357.15	68.22	19
6	11	खेल तथा युवा कल्याण	142.87	19.25	13
7	12	कला तथा संस्कृति	10.65	2.94	28
8	13	स्वास्थ्य	1,849.98	253.27	14
9	14	शहरी विकास	268.30	41.48	15
10	15	स्थानीय सरकार	1,755.46	379.76	22
11	17	रोजगार	74.91	15.14	20
12	19	एस.सी.ज, एस.टी.ज और अन्य बी.सी.ज का कल्याण	370.31	33.87	9
13	20	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1,747.47	66.10	4
14	21	महिला तथा बाल विकास	631.96	46.08	7
15	23	खाद्य एवं आपूर्ति	206.98	107.83	52
16	24	सिंचाई	1,406.77	375.55	27
17	25	उद्योग	95.89	22.28	23
18	27	कृषि	904.15	184.55	20
19	28	पशुपालन तथा डेरी विकास	465.36	58.82	13
20	29	मत्स्य पालन	29.54	8.55	29
21	30	वन तथा वन्य जीवन	272.37	12.09	4
22	32	ग्रामीण तथा सामुदायिक विकास	1,539.83	159.83	10
23	33	सहकारिता	306.05	14.23	5
24	34	परिवहन	1,422.98	107.95	8
25	36	गृह	1,900.48	45.46	2
26	39	सूचना तथा प्रचार	89.26	24.51	27
27	41	इलैक्ट्रॉनिक्स और आई.टी.	25.80	19.06	74
28	42	न्याय प्रशासन	351.66	80.90	23
29	44	प्रिंटिंग और स्टेशनरी	43.64	17.19	39
<b>राजस्व (चार्जड)</b>					
30	6	वित्त	5,477.36	516.67	9
<b>पूंजीगत (वोटिड)</b>					
31	8	भवन एवं सड़कें	1,827.28	226.50	12
32	9	शिक्षा	13.60	13.60	100

क्र. सं.	अनुदान सं.	अनुदान / एप्रोप्रिएशन का नाम	कुल अनुदान / एप्रोप्रिएशन	बचतें	बचत की प्रतिशतता
33	14	शहरी विकास	420.00	90.14	21
34	18	औद्योगिक प्रशिक्षण	43.89	17.63	40
35	19	एस.सीज, एस.टीज और अन्य बी.सीज का कल्याण	2.63	1.63	62
36	20	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	2.83	2.83	100
37	23	खाद्य एवं आपूर्ति	6,855.41	283.20	4
38	33	सहकारिता	85.29	15.83	19
39	34	परिवहन	166.69	32.71	20
40	36	गृह	95.00	29.84	31
41	38	जन स्वास्थ्य और जलापूर्ति	1,156.10	324.40	28
42	40	ऊर्जा और विद्युत	910.63	712.01	78
43	45	राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम	888.18	366.19	41
<b>पूँजीगत (चार्ज्ड)</b>					
44	8	भवन एवं सड़कें	15.00	11.64	78
45		लोक ऋण	10,548.82	4,250.68	40
<b>कुल</b>			<b>55,424.92</b>	<b>11,352.06</b>	

**परिशिष्ट 2.2**

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.4; पृष्ठ 55)

**2012-13 के दौरान प्रावधान के बिना किए गए व्यय का ब्यौरा**

क्र. स.	अनुदानों की संख्या तथा नाम	प्रावधान के बिना व्यय की राशि (₹ करोड़ में)	कारण/टिप्पणियां
1.	8-भवन व सड़कें	2.00	शीर्ष "5054-सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत आउटले, 80-सामान्य, 052-मशीनरी तथा उपकरण" के अंतर्गत ₹ 2 करोड़ का संपूर्ण प्रावधान नए कार्यों की अस्वीकृति के कारण सरेंडर कर दिया गया। तत्पश्चात व्यय इस शीर्ष के अंतर्गत किया गया। सरकार द्वारा इसके कारण सूचित नहीं किए गए हैं।
2.	24-सिंचाई	83.37	"2700-बृहद् सिंचाई, 02-पश्चिमी जमुना नहर परियोजना (वाणिज्यिक), 800-अन्य खर्च, 99-ब्याज" शीर्ष के अन्तर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा आधिक्य के कारणों की सूचना नहीं दी गई है।
3.		1.76	"2700-बृहद् सिंचाई, 05-जवाहर लाल नेहरू नहर परियोजना (वाणिज्यिक), 001-निदेशन एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियता" शीर्ष के अन्तर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा कारणों की सूचना नहीं दी गई है।
4.		0.48	"2700-बृहद् सिंचाई, 05-जवाहर लाल नेहरू नहर परियोजना (वाणिज्यिक), 001-निदेशन एवं प्रशासन, 89-विशेष राजस्व" शीर्ष के अन्तर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा कारणों की सूचना नहीं दी गई है।
5.		1.52	"2700-बृहद् सिंचाई, 04-लोहारू नहर परियोजना (वाणिज्यिक), 001-निदेशन एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियता" शीर्ष के अन्तर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा कारणों की सूचना नहीं दी गई है।
6.		183.90	शीर्ष "4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत आउटले, 07- नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/वर्तमान चैनलों का सुधार, 001-निर्देशन तथा प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियन्ता" के अन्तर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा कारणों की सूचना नहीं दी गई है।
7.		21.64	शीर्ष "4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत आउटले, 07- नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/वर्तमान चैनलों का सुधार, 001-निर्देशन तथा प्रशासन, 89-विशेष राजस्व" के अन्तर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा कारणों की सूचना नहीं दी गई है।
8.		11.65	शीर्ष "4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत आउटले, 07- नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/वर्तमान चैनलों का सुधार, 001-निर्देशन तथा प्रशासन, 92-अधीक्षक अभियन्ता" के अन्तर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा कारणों की सूचना नहीं दी गई है।
9.	24- सिंचाई	9.63	शीर्ष "4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत आउटले, 07-नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/वर्तमान चैनलों का सुधार, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 93-मुख्य अभियन्ता" के अंतर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए हैं।

क्र. स.	अनुदानों की संख्या तथा नाम	प्रावधान के बिना व्यय की राशि (₹ करोड़ में)	कारण/टिप्पणियां
10.	24- सिंचाई	0.35	शीर्ष "4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत आउटले, 07-नाबाई के अंतर्गत पुराने/वर्तमान चैनलों का सुधार, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 88-पेंशन प्रभार" के अंतर्गत किया गया व्यय। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए हैं।
11.		63.09	शीर्ष "4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत आउटले, 01-बाढ़ नियंत्रण, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 97-निष्पादन" के अंतर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए हैं।
12.		0.11	शीर्ष "4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत आउटले, 01-बाढ़ नियंत्रण, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 88-पेंशन प्रभार" के अंतर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए हैं।
13.		2.65	शीर्ष "4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत आउटले, 01-बाढ़ नियंत्रण, 800-अन्य व्यय, 99-बाढ़ रोकथाम तथा आपदा तैयारी" के अंतर्गत व्यय किया गया था। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए हैं।
14.		48.06	शीर्ष "4700-बृहद सिंचाई पर पूंजीगत आउटले, 16-वर्तमान चैनलों/ड्रेनेज प्रणाली के पुनर्स्थापन, 001-निदेशक एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियंता" के अंतर्गत व्यय किया गया था। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए हैं।
15.		7.42	शीर्ष 4700-बृहद सिंचाई पर पूंजीगत आउटले, 16-वर्तमान चैनलों/ड्रेनेज प्रणाली के पुनर्स्थापन, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 89-विशेष राजस्व" के अंतर्गत व्यय किया गया था। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए हैं।
16.		3.17	शीर्ष "4700-बृहद सिंचाई पर पूंजीगत आउटले, 16-चैनलों/ड्रेनेज प्रणाली के पुनर्स्थापन, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 92-अधीक्षक अभियंता" के अंतर्गत व्यय किया गया था। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए हैं।
17.		2.74	शीर्ष "4700-बृहद सिंचाई पर पूंजीगत आउटले, 16-चैनलों/ड्रेनेज प्रणाली के पुनर्स्थापन, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 93-मुख्य अभियंता" के अंतर्गत व्यय किया गया था। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए हैं।
18.		0.10	शीर्ष "4700-बृहद सिंचाई पर पूंजीगत आउटले, 16-चैनलों/ड्रेनेज प्रणाली के पुनर्स्थापन, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियंता, 88-पेंशन प्रभार" के अंतर्गत व्यय किया गया था। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए हैं।
	<b>कुल</b>	<b>443.64</b>	

**परिशिष्ट 2.3**

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.7; पृष्ठ 56)

उन मामलों के विवरण जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या इससे अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचतें	अनुपूरक
<b>राजस्व (वोटिड)</b>					
1	2-राज्यपाल और मंत्री परिषद	75.36	70.60	4.76	3.50
2	4-राजस्व	822.72	564.09	258.63	100.36
3	7-योजना तथा सांख्यिकी	387.49	121.87	265.62	4.98
4	9-शिक्षा	8,177.35	6,590.70	1,586.65	5.00
5	10-तकनीकी शिक्षा	307.55	288.93	18.62	49.60
6	11-खेल एवं युवा कल्याण	123.87	123.62	0.25	19.00
7	13-स्वास्थ्य	1,648.80	1,596.70	52.10	201.18
8	18-औद्योगिक प्रशिक्षण	146.81	146.41	0.40	8.35
9	20- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1,727.05	1,681.37	45.68	20.42
10	25-उद्योग	83.20	73.61	9.59	12.69
11	27-कृषि	894.53	719.60	174.93	9.61
12	30-वन तथा वन्य जीवन	266.10	260.29	5.81	6.27
13	32-ग्रामीण और सामुदायिक विकास	1,461.09	1,380.01	81.08	78.75
14	36-गृह	1,896.48	1,855.02	41.46	4.00
15	39-सूचना एवं प्रचार	67.53	64.74	2.79	21.73
16	42-न्याय प्रशासन	307.74	270.76	36.98	43.92
<b>उप-योग</b>		<b>18,393.67</b>	<b>15,808.32</b>	<b>2,585.35</b>	<b>589.36</b>
<b>राजस्व (चार्जिड)</b>					
17	3- सामान्य प्रशासन	6.42	5.88	0.54	0.55
<b>उप-योग</b>		<b>6.42</b>	<b>5.88</b>	<b>0.54</b>	<b>0.55</b>
<b>पूँजीगत (वोटिड)</b>					
18	9- शिक्षा	शून्य	शून्य	शून्य	13.60
19	34-परिवहन	164.69	133.98	30.71	2.00
20	45-राज्य सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम	874.10	521.99	352.11	14.09
<b>उप-योग</b>		<b>1,038.79</b>	<b>655.97</b>	<b>382.82</b>	<b>29.69</b>
<b>पूँजीगत (चार्जिड)</b>					
21	लोक ऋण	9,221.08	6,298.14	2,922.94	1,327.74
<b>उप-योग</b>		<b>9,221.08</b>	<b>6,298.14</b>	<b>2,922.94</b>	<b>1,327.74</b>
<b>कुल योग</b>		<b>28,659.96</b>	<b>22,768.31</b>	<b>5,891.65</b>	<b>1947.34</b>

## परिशिष्ट 2.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.7; पृष्ठ 56)

विभिन्न अनुदानों/एप्रोप्रियेशनों, जहां पूरक प्रावधान प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक तक अपर्याप्त सिद्ध हुए, की विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान एवं विनियोग का नाम	मूल प्रावधान	पूरक प्रावधान	कुल	व्यय	अधिक्य
<b>राजस्व (वोटिड)</b>							
1	6	वित्त	3,516.59	35.23	3,551.82	3,678.35	126.53
2	38	जन स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति	1,074.54	12.00	1,086.54	1,099.48	12.94
<b>पूँजीगत (वोटिड)</b>							
3	21	महिला एवं बाल विकास	0.50	53.32	53.82	57.99	4.17
4	24	सिंचाई	474.50	48.21	522.71	797.94	275.23
<b>पूँजीगत (चार्जड)</b>							
5	24	सिंचाई	43.50	36.79	80.29	89.52	9.23
<b>कुल</b>			<b>5,109.63</b>	<b>185.55</b>	<b>5,295.18</b>	<b>5,723.28</b>	<b>428.10</b>

परिशिष्ट 2.5

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.8; पृष्ठ 56)

प्रत्येक मामले में एक करोड़ से अधिक की निधियों का अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त/रि-एप्रोप्रियेशन का ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: रीएप्रोप्रियेशन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (-)
1.	04	राजस्व	2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत 05-आपदा राहत निधि 101-रिजर्व फंडों को हस्तांतरण तथा डिपोजिट अकाउंट आपदा राहत निधि 99-राज्य अंशदान	(ओ) 212.68 (एस) 96.45 (आर) (-) 161.72 147.41	180.18	(+) 32.77
2.			2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत 02-बाढ़, तूफान आदि 282-जन स्वास्थ्य 98- जन स्वास्थ्य	(ओ) 5.00 (आर) (-) 3.26 1.74	6.56	(+) 4.82
3.			2053- जिला प्रशासन 093- जिला स्थापना 99-स्थापना	(ओ)108.71 (एस) 3.16 (आर) 0.54 112.41	101.04	(-) 11.37
4.			2705- सार्वजनिक क्षेत्र विकास 102- शिवालिक विकास बोर्ड 99- शिवालिक क्षेत्र के विकास के लिए सहायतानुदान	(ओ) 9.50 (आर) (-) 1.00 8.50	6.65	(-) 1.85
5.	06	वित्त	2071-पेंशन और अन्य रिटायरमेंट लाभ 01-सिविल 104-ग्रेच्युटी	(ओ)508.00 (एस) 30.00 538.00	605.50	(+)67.50
6.			117-परिष्कृत अंशदान पेंशन स्कीम के लिए सरकारी अंशदान 99-हरियाणा की परिभाषित अंशदायी पेंशन स्कीम 99- परिभाषित अंशदान पेंशन स्कीम के लिए सरकारी अंशदान	(ओ) 64.36 (आर) 31.89 96.25	98.76	(+)2.51
7.			2049- ब्याज भुगतान 01-आंतरिक ऋण पर ब्याज 200-अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज 92-एन.सी.आर.पी.बी से ऋणों पर ब्याज	(ओ) 268.04 (आर) 24.09 292.13	-	(-) 292.13
8.			91-8.5% राज्य सरकार के विशेष कर मुक्त बांड (पावर बांड्स)	(ओ) 60.15 (आर) (-) 1.24 58.91	-	(-) 58.91
9.			101—बाजार ऋणों पर ब्याज 99—ब्याज वाले बाजार ऋणों पर ब्याज	(ओ) 2084.51 (आर) (-) 93.50 1991.01	1900.10	(-) 90.91
10.			123-राज्य सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज 93- लघु बचतों पर ब्याज	(ओ) 1172.93 (आर) (-) 55.23 1117.70	1129.00	(+)11.30
11.			04-केंद्रीय सरकार से ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज 101-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्लान स्कीम के लिए ऋणों पर ब्याज 99-ब्लॉक ऋण	(ओ) 72.38 (आर) (-) 23.46 48.92	32.83	(-) 16.09

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: रीएप्रोप्रिेशन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (-)
12.			108- 9 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार समेकित 1984-89 राज्य योजना ऋणों पर ब्याज 99-1984-89 से पहले समेकित ऋण	(ओ) 94.25 (आर) (-) 15.47 78.78	87.00	(+)8.22
13.			03- लघु बचत भविष्य निधि आदि पर ब्याज 104-राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज 99- राज्य भविष्य निधि पर ब्याज	(ओ) 750.00 (आर) (-) 30.69 719.31	745.78	(+)26.47
14.			97-राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	(ओ) 16.03 (आर) (-) 12.36 3.67	89.13	(+)85.46
15.			96-नाबाई के राष्ट्रीय ग्रामीण क्रेडिट फंड से ऋण 03-लघु बचतों, भविष्य निधियों इत्यादि पर ब्याज 108-बीमा और पेंशन निधि पर ब्याज	(ओ) 95.56 (आर) 12.15 107.71	136.26	(+)28.55
16.			99- जी.आई.एस. पर ब्याज	(ओ) - (एस) 0.00 (आर) 30.24 30.24	0.27	(-)29.97
17.	8	भवन एवं सड़कें	3054- सड़कें एवं पुल 80-सामान्य 797-रिजर्व निधियों और जमा खातों में/से हस्तांतरण 99- सी.आर.एफ. - अंतर खाता हस्तांतरण में/से हस्तांतरण	(ओ) 200.00 (आर) (-) 119.73 80.27	167.53	(+)87.26
18.			2059-लोक निर्माण 80- सामान्य 001-निदेशन एवं प्रशासन 96- निष्पादन	(ओ) 291.25 (आर) (-) 43.60 247.65	248.72	(+)1.07
19.			3054- सड़कें एवं पुल 04- जिला एवं अन्य सड़कें 337- सड़क कार्य 98-ग्रामीण सड़कें	(ओ) 278.35 (आर) 102.63 380.98	387.53	(+)6.55
20.			2059 - लोक निर्माण 80- सामान्य 799- उच्चत	(ओ) 9.00 (आर) 43.69 52.69	42.16	(-) 10.53
21.			4059- लोक निर्माण पर पूंजीगत आउटले 01- कार्यालय भवन 051- निर्माण 99- जिला प्रशासन	(ओ) 42.00 (आर) 59.58 101.58	103.48	(+)1.90
22.			5054-सड़कें और पुलों पर पूंजीगत आउटले 80- सामान्य 052- मशीनरी तथा उपकरण	(ओ) 2.00 (आर) (-) 2.00 शून्य	2.00	(+)2.00
23.	9	शिक्षा	2202-सामान्य शिक्षा 01-मौलिक शिक्षा 101-सरकारी प्राइमरी स्कूल 98-मिडिल शिक्षा कक्षा VI से VIII 98-स्थापना व्यय	(ओ) 1240.60 (आर) 530.13 1770.73	1759.77	(-) 10.96

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष हेतु राज्य के वित्तों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: रीएप्रोप्रिएशन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (-)
24.			02-सैकेंडरी शिक्षा 110- गैर - सरकारी सैकेंडरी स्कूलों को सहायता 98- गैर - सरकारी सैकेंडरी स्कूलों को सहायता अनुदान (वेतन ग्रांट)	(ओ) 75.00 (आर) 19.47 94.47	89.38	(-)5.09
25.	14	शहरी विकास	4217-शहरी विकास पर पूंजीगत आउटले 60-अन्य शहरी विकास स्कीमें 051-निर्माण 96-जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए प्रोत्साहन पैकेज	(ओ) 225.00 (आर) (-) 0.25 224.75	205.91	(-)18.84
26.	15	स्थानीय सरकार	2217-शहरी विकास 80- सामान्य 192-नगर समितियों/परिषदों को सहायता 92- नगर समितियों/परिषदों को गैर न्यायिक स्टाम्प पेपरो के विक्रय पर दो प्रतिशत कमीशन का भुगतान	(ओ) 3.00 (एस) 200.00 (आर) (-) 51.00 152.00	134.92	(-) 17.08
27.	15	स्थानीय सरकार	2217-शहरी विकास 80- सामान्य 91-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरण, कस्बा सुधार बोर्डों इत्यादि को सहायता 96-नगर निगम को गैर न्यायिक स्टाम्प पेपरो के विक्रय पर दो प्रतिशत कमीशन का भुगतान	(ओ) 1.00 (एस) 300.00 (आर) 15.00 316.00	305.39	(-) 10.61
28.	18	औद्योगिक प्रशिक्षण	4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत आउटले 800-अन्य व्यय 93-मेवात क्षेत्र में प्रशिक्षण मूलभूत संरचना का विकास	(ओ) 25.00 (आर) (-) 15.37 9.63	7.84	(-) 1.79
29.	19	एस.सीज और बी.सीज का कल्याण	2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 01- अनुसूचित जातियों का कल्याण 227- शिक्षा 99- अनुसूचित जातियों को पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप	(ओ) 48.48 (एस) 121.71 (आर) (-) 24.48 145.71	144.68	(-) 1.03
30.	23	खाद्य एवं आपूर्ति	4408-खाद्य, भंडारण और वेयर हाउसिंग पर पूंजीगत आउटले 01-खाद्य 101-प्रापण एवं आपूर्ति 99- अनाज आपूर्ति स्कीम	(ओ) 4834.36 (एस) 1344.71 (आर) (-) 230.79 5948.28	5990.96	(+)42.68
31.			98-स्थापना लागत प्रभार्य	(ओ) 186.34 (आर) (-) 59.76 126.58	84.07	(-) 42.50
32.	24	सिंचाई	2700-बृहद् सिंचाई 02-पश्चिमी जमुना नहर परियोजना (वाणिज्यिक) 001-निदेशन एवं प्रशासन 91-कार्यकारी अभियंता	(ओ) 290.19 (आर) (-) 2.89 287.30	86.31	(-) 200.99
33.			101-रख - रखाव एवं मरम्मत 98-रख - रखाव व्यय	(ओ) 30.00 (आर) (-) 1.21 28.79	31.54	(+) 2.75

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: रीएप्रोप्रिेशन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (-)
34.			80-सामान्य 800-अन्य व्यय 98-सुधार, अपग्रेडेशन, आपरेशन और रख - रखाव	(ओ) 37.00 (आर) (-) 0.98 36.02	37.13	(+) 1.11
35.			89-विशेष राजस्व	(ओ) 37.02 (आर) (-) 3.42 33.60	15.02	(-) 18.58
36.			92-अधीक्षक अभियंता	(ओ) 26.52 (आर) (-) 6.73 19.79	7.19	(-) 12.60
37.			01-बहु उद्देशीय नदी परियोजना (वाणिज्यिक) 001- निदेशन एवं प्रशासन 91- कार्यकारी अभियंता	(ओ) 61.54 (आर) (-) 1.74 59.80	2.80	(-) 57.00
38.			89-विशेष राजस्व	(ओ) 19.28 (आर) (-) 1.66 17.62	0.78	(-) 16.84
39.			92- अधीक्षक अभियंता	(ओ) 2.37 (आर) (-) 0.03 2.34	0.18	(-) 2.16
40.			101-रख - रखाव एवं मरम्मत 98-अन्य रख - रखाव व्यय 98-पंजाब पोरशन	(एस) 2.00 (आर) 0.01 1.99	-	(-) 1.99
41.			24- जल क्षेत्र प्रबंध 101- रख - रखाव एवं मरम्मत 98-अन्य रख - रखाव व्यय	(ओ) 53.02 (आर) (-) 27.95 25.06	12.06	(-) 13.00
42.			18-नौर वाणिज्यिक सिंचाई परियोजनाएं 001-निदेशन एवं प्रशासन 91-कार्यकारी अभियंता	(ओ) 39.00 (आर) (-) 3.76 35.24	8.06	(-) 27.18
43.			92- अधीक्षक अभियंता	(ओ) 3.50 (आर) (-) 0.22 3.28	0.52	(-) 2.76
44.			93-मुख्य अभियंता	(ओ) 2.50 (आर) (-) 0.26 2.24	0.40	(-) 1.84
45.			80-सामान्य 001- निदेशन एवं प्रशासन 93- मुख्य अभियंता	(ओ) 28.10 (आर) (-) 7.30 20.80	7.02	(-) 13.78
46.			2701-मध्यम सिंचाई 18-जूई केनाल प्राजेक्ट (वाणिज्यिक) 001-निदेशन एवं प्रशासन 91-कार्यकारी अभियंता	(ओ) 1.52 (आर) (-) 0.16 1.36	0.08	(-) 1.28
47.			2700-बृहद सिंचाई 02-पश्चिमी जमुना नहर परियोजना 800-अन्य व्यय 98- विद्युत प्रभार	(ओ) 21.30 (आर) 3.57 24.87	23.83	(-)1.04
48.			18-नौर वाणिज्यिक सिंचाई परियोजनाएं 101- रख - रखाव एवं मरम्मत 98-अन्य रख - रखाव व्यय	(ओ) 6.80 (आर) 0.72 7.52	11.91	(+)4.39

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष हेतु राज्य के वित्तों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: रीएप्रोप्रिेशन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (-)
49.			4701-बृहद और मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत आउटले 07-नाबाई के अंतर्गत पुराने/वर्तमान चैनलों का सुधार 800-अन्य व्यय 98- नहर का निर्माण	(ओ) 90.00 (एस) 12.56 (आर) 3.42 105.98	126.79	(+)20.81
50.			80-सामान्य 052- मशीनरी एवं उपकरण 99-संस्थागत सुदृढीकरण डेटा संग्रहण इत्यादि	(ओ) 0.21 (आर) (-) 0.12 0.08	3.98	(+)3.90
51.			4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत आउटले 201-ड्रेनिंग एवं बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं 99-बाढ़ रोकथाम तथा आपदा	(ओ) 28.80 (S) 3.20 32.00	82.16	(+)50.16
52.			98-अर्बन स्टोरम वाटर ड्रेनेज	(ओ) 5.00 (आर) (-) 3.72 1.28	12.32	(+)11.04
53.			4700-बृहद सिंचाई पर पूंजीगत आउटले 800-अन्य व्यय 98-नहरों का निर्माण	(ओ) 39.00 (आर) (-) 2.11 36.89	46.99	(+)10.10
54.			14-दादूपुर नलवी सिंचाई परियोजना 800 - अन्य व्यय 98-नहरों का निर्माण	(ओ) 8.50 (आर) (-) 0.04 8.46	9.55	(+)1.09
55.			4701-बृहद और मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत आउटले 07-नाबाई के अंतर्गत पुराने/वर्तमान चैनलों का सुधार 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना 99-राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या के लिए आर.आई.डी.एफ. (नाबाई) के अंतर्गत पुराने/वर्तमान चैनलों का सुधार	(ओ) 75.00 (एस) 15.65 (आर) 2.06 92.71	52.28	(-) 40.43
56.			06-जल के उचित वितरण के लिए नए माइनर 800-अन्य व्यय 98-नहर का निर्माण	(ओ) 98.90 (आर) (-) 6.03 92.87	62.52	(-) 30.35
57.			789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना 99-अनुसूचित जाति के लिए जल के उचित वितरण के लिए नए माइनर में सुधार	(ओ) 43.10 (आर) (-)2.46 40.64	11.84	(-) 28.80
58.			80- सामान्य 002- डेटा संग्रहण 99- सिंचाई परियोजनाओं का डेटा संग्रहण	(ओ) 22.79 (आर) 1.44 24.23	11.07	(-) 13.16
59.			4700-बृहद सिंचाई पर पूंजीगत आउटले 16-वर्तमान चैनलों/ड्रेनेज प्रणाली का पुनर्स्थापन 789- एस.सी. के लिए विशेष संघटक योजना 99- राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या में जल मार्गों के निर्माण कार्यों और पुनर्स्थापन में सुधार	(ओ) 25.00 (आर) (-) 3.54 21.46	9.66	(-) 11.80

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: रीएप्रोप्रिेशन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (-)
60.			13-नहर प्रणालियों का आधुनिकीकरण और लाइनिंग 800-अन्य व्यय 98-नहरों का निर्माण	(ओ) 15.00 (आर) (-) 8.81 6.19	10.23	(+)4.04
61.			4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत आउटले 01-बाढ़ नियंत्रण 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना 99- राज्य में एस.सी. जनसंख्या क्षेत्र में बाढ़ रोकथाम, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन	(ओ) 1.20 (एस) 16.80 (आर) (-) 3.65 14.35	2.95	(-)11.40
62.			4701-बृहद और मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत आउटले 80- सामान्य 800- अन्य व्यय 98- न्यायालय निर्णय के तहत संवर्धित भूमि क्षतिपूर्ति का भुगतान	(ओ) 43.50 (एस) 36.79 (आर) (-) 0.73 79.56	89.52	(+)9.96
63.	27	कृषि	2401- फसल पालन 109-विस्तार एवं कृषक प्रशिक्षण 80-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए स्कीम	(ओ) 246.00 (आर) (-) 99.78 146.22	160.65	(+)14.43
64.			789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना 91-अनुसूचित जाति कृषकों के लिए गुणक बीज के उत्पादन एवं वितरण के लिए मूलभूत संरचना सुविधाओं के विकास और सुदृढीकरण के लिए स्कीम	(ओ) - (एस) 5.61 (आर) (-) 4.21 1.40	5.61	(+) 4.21
65.			108- वाणिज्यिक फसलें 86- आयल सीड पल्सिज, आयल पल्सिज और मेज़ (आई.एस.ओ.पी.एम.) की एकीकृत स्कीम 98-हरियाणा में उच्च उत्पादन विविधता कार्यक्रम	(ओ) 18.61 (आर) (-) 1.49 17.12	18.24	(+)1.12
66.			111-कृषीय अर्थशास्त्र और सांख्यिकी 90-परिष्कृत राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम	(ओ) 6.00 (आर) (-) 0.02 5.98	0.37	(-) 5.61
67.			2415-कृषीय अनुसंधान और शिक्षा 01-फसल पालन 277-शिक्षा 99-हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को सहायतानुदान	(ओ) 119.52 (आर) (-) 9.86 109.66	99.04	(-) 10.62
68.			2402- भूमि और जल संरक्षण 102- भूमि संरक्षण 86- राज्य में सो-लाईन भूमि तथा वाटर लॉग्ड भूमि सुधार के लिए पायलट परियोजना के लिए स्कीम 99- नार्मल प्लान	(ओ) 4.40 (आर) (-) 1.05 3.35	1.85	(-) 1.50
69.			2401- फसल पालन 88- कार्ययोजना के माध्यम से भारत सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में कृषि का मैक्रो प्रबंध 99- कृषीय प्रदर्शन एवं प्रचार	(ओ) 48.66 (आर) 1.51 50.17	51.55	(+)1.38

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष हेतु राज्य के वित्तों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: रीएप्रोप्रिेशन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (-)
70.	28	पशु पालन एवं डेरी विकास	2403- पशु पालन 101- पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य 95- पशु चिकित्सालयों तथा डिस्पेंसरियों को जारी रखना	(ओ) 61.71 (आर) (-) 4.02 57.69	58.77	(+)1.08
71.			93- वेटेनरी डिस्पेंसरी स्टाक मैन सेंटर का अस्पताल - सह - ब्रोडिंग सेंटर में परिवर्तन	(ओ) 57.68 (आर) (-) 5.16 52.52	54.76	(+)2.24
72.	32	ग्रामीण तथा सामुदायिक विकास	2505- ग्रामीण रोजगार 01-राष्ट्रीय कार्यक्रम 702-जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 88-राष्ट्रीय सम विकास योजना/पिछड़ा क्षेत्र ग्रांट निधि 99-नार्मल प्लान	(ओ) 22.82 (आर)(-) 3.06 19.76	18.41	(-) 1.35
73.	34	परिवहन	3055-सड़क परिवहन 201-हरियाणा रोडवेज 98-बी - आपरेशनज	(ओ) 1,043.28 (आर) (-) 100.34 942.94	940.42	(-) 2.52
74.	36	गृह	2055-पुलिस 109-जिला पुलिस 99- जिला पुलिस बल	(ओ) 1,294.64 (एस) 3.00 (आर) 17.52 1,315.16	1313.08	(-) 2.08
75.			104- विशेष पुलिस 98- भारतीय रिजर्व बटालियनज	(ओ) 76.31 (आर)3.97 80.28	79.16	(-) 1.12
76.	38	जन स्वास्थ्य और जलापूर्ति	2215-जलापूर्ति और सैनीटेशन 01-जलापूर्ति 102-ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम 97-ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम	(ओ) 336.25 (आर) 27.41 363.66	375.85	(+)12.19
77.			101-शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम 99-शहरी जलापूर्ति और सीवरेज का रख - रखाव 799 -सर्पैस	(ओ) 2.70 (आर) (-) 0.31 2.39	3.64	(+)1.25
78.			4215 जलापूर्ति और सैनीटेशन पर पूंजीगत आउटले 01- जलापूर्ति 101-शहरी जलापूर्ति 94- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	(ओ) 195.00 (आर) (-) 154.06 40.94	38.57	(-) 2.37
79.			102-ग्रामीण जलापूर्ति 93-ग्रामीण जलापूर्ति 95-टी.एफ.सी. (शिवालिक और दक्षिणी हरियाणा)	(ओ) 60.00 (आर) (-) 32.56 27.44	12.84	(-) 14.60
80.	42	न्याय प्रशासन	2014- न्याय प्रशासन 105-सिविल एवं सेशन कोर्ट 94-13वें वित्त आयोग के तहत न्याय देने में सुधार 99-जिला और सेशन जज	(ओ) 106.75 (एस) 1.85 (आर) (-) 20.68 87.92	86.72	(-) 1.20
81.			102-हाईकोर्ट 98-स्थापना 98-स्थापना व्यय	(ओ) 34.43 (आर) (-) 3.98 30.45	73.05	(+) 42.60
82.			97-अधीनस्थ जज	(ओ) 96.79 (आर) (-) 12.65 84.14	83.06	(-)1.08

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: रीएप्रोप्रिएशन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (-)
83.			102- हाईकोर्ट 99- जजेज	(ओ) 5.35 (एस) 43.88 (आर) (-) 3.26 45.97	2.83	(-)43.14
84.	लोक ऋण	लोक ऋण(सभी चार्जड)	6003-राज्य सरकार का आंतरिक ऋण 109-अन्य संस्था से ऋण 96-एन.सी.आर.टी.बी. (पी.एच.) से ऋण	(ओ) 287.28 (आर) 38.82 326.10	93.03	(-) 233.07
85.			6004-केंद्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम 02-राज्य /संघ राज्य क्षेत्र योजना स्कामों के लिए ऋण 101-ब्लॉक ऋण	(ओ) 31.28 (आर) (-) 9.78 21.50	27.90	(+)6.40
86.			6003-राज्य सरकार के आंतरिक ऋण 109-अन्य संस्था से ऋण 92-एन.सी.आर.टी.बी. (स्वास्थ्य) से ऋण	(ओ) 18.89 (आर) (-)10.56 8.33	21.68	(+)13.35
87.	45	राज्य सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम	7610-सरकारी सेवकों इत्यादि को ऋण 201-गृह निर्माण अग्रिम 99-आल इण्डिया सर्विसिज अधिकारियों के अलावा सरकारी सेवकों को अग्रिम	(ओ) 160.71 (आर) (-) 28.90 131.81	129.51	(-) 2.30
88.			98- मंत्रियों/उप-मंत्रियों, राज्य मंत्रियों के प्रसाइडिंग अधिकारियों और राज्य विधायकों को अग्रिम	(ओ) 7.35 (आर) (-) 5.95 1.40	-	(-) 1.40
89.			800-अन्य अग्रिम 99-स्वाद्यान्नों की खरीद के लिए अग्रिम	(ओ) 70.00 (आर) (-) 27.29 42.71	45.44	(+)2.73
90.			99- मंत्रियों तथा राज्य विधायकों के अलावा मोटर कन्वेंस की खरीद के लिए अग्रिम	(ओ) 50.00 (आर) (-) 23.25 26.75	27.77	(+)1.02
<b>कुल</b>					<b>19393.89</b>	<b>(+)632.41 (-) 1,450.61 2,083.02</b>

सार	मामलों की संख्या	राशि (करोड़ में)
एप्रोप्रियेशन पर अतिरिक्त व्यय (+)	39	632.41
एप्रोप्रियेशन में से बचत (-)	51	1,450.61
<b>कुल</b>	<b>90</b>	<b>2,083.02</b>

₹ 10 करोड़ से अधिक के अतिरिक्त मामले	मामलों की संख्या	राशि (करोड़ में)
क्र.सं. 10, 49, 52, 53, 63, 76 और 86	7	93.22
₹ 10 करोड़ से अधिक के बचत मामले		
क्र.सं. 3, 11, 20, 23, 25, 26, 27, 35, 36, 38, 41, 45, 58, 59, 61, 67 और 79	17	231.86
<b>कुल</b>	<b>24</b>	<b>325.08</b>

₹ 25 करोड़ से अधिक के अतिरिक्त मामले	मामलों की संख्या	राशि (करोड़ में)
क्र.सं. 1, 5, 13, 14, 15, 17, 30, 51 और 81	9	463.45
₹ 25 करोड़ से अधिक के बचत मामले		
क्र.सं. 7, 8, 9, 16, 31, 32, 37, 42, 55, 56, 57, 83 और 84	13	1,175.38
<b>कुल</b>	<b>23</b>	<b>1639.83</b>

**परिशिष्ट 2.6**

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.9; पृष्ठ 57)

वास्तविक बचतों (₹ 50 लाख अथवा अधिक) के आधिक्य में सरेंडर की गई निधियों को दर्शाने वाले ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	गांट/एप्रोप्रियेशन की संख्या तथा नाम	कुल गांट/एप्रोप्रियेशन	बचत (-)	सरेंडर की गई राशि	अधिक सरेंडर की गई राशि
<b>राजस्व (वोटिड)</b>					
1	3- सामान्य प्रशासन	136.54	2.29	2.93	0.64
2	4- राजस्व	923.08	358.99	382.23	23.24
3	8-भवन व सड़कें	1,148.48	70.41	154.44	84.03
4	13-स्वास्थ्य	1,849.98	253.27	254.71	1.44
5	27-कृषि	904.15	184.55	190.78	6.23
6	28-पशुपालन एवं डेयरी उद्योग विकास	465.36	58.82	62.00	3.18
7	40-ऊर्जा एवं विद्युत	5,160.03	1.34	11.45	10.11
8	43-कारागार	98.03	0.66	1.18	0.52
<b>पूँजीगत (वोटिड)</b>					
9	8- भवन व सड़कें	1,827.28	226.50	229.53	3.03
<b>कुल</b>		<b>12,512.93</b>	<b>1,156.83</b>	<b>1,289.25</b>	<b>132.42</b>

**अविवेकपूर्ण अभ्यर्पण**

क्र.सं.	गांट/एप्रोप्रियेशन की संख्या तथा नाम	कुल गांट/एप्रोप्रियेशन	आधिक्य (+)	सरेंडर की गई राशि	अधिक सरेंडर की गई राशि
<b>राजस्व (वोटिड)</b>					
1	6-वित्त	3,551.82	126.53	9.23	135.76
2	38-जन स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति	1,086.54	12.94	1.47	14.41
<b>पूँजीगत (वोटिड)</b>					
3	24-सिंचाई	522.71	275.23	35.14	310.37
<b>पूँजीगत (चार्जिड)</b>					
4	24-सिंचाई	80.29	9.24	0.73	9.97
<b>कुल</b>		<b>5,241.36</b>	<b>423.94</b>	<b>46.57</b>	<b>470.51</b>

## परिशिष्ट 2.7

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.10; पृष्ठ 57)

₹ एक करोड़ एवं अधिक की सरेंडर न की गई बचतों का ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदानों/विनियोजनों की संख्या एवं नाम	बचतें	अभ्यर्पित राशि	बचतें जो अभ्यर्पित की जानी है
<b>राजस्व (वोटिड)</b>				
1	9-शिक्षा	1,591.65	1,575.61	16.04
2	15-स्थानीय सरकार	379.76	351.92	27.84
3	19-अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण	33.87	32.76	1.11
4	22-भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण	5.12	3.92	1.20
5	24-सिंचाई	375.55	99.00	276.55
6	30-वन एवं वन्य जीवन	12.09	10.84	1.25
7	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	159.83	142.79	17.04
8	34-परिवहन	107.95	105.39	2.56
9	36-गृह	45.46	42.33	3.13
10	42-न्याय प्रशासन	80.90	78.18	2.72
<b>राजस्व (चार्जड)</b>				
11	6-वित्त	516.67	176.10	340.57
12	42- न्याय प्रशासन	7.78	7.24	0.54
<b>राजस्व (वोटिड)</b>				
13	14-शहरी विकास	90.14	71.30	18.84
14	18-औद्योगिक प्रशिक्षण	17.63	15.84	1.79
15	38-जन स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति	324.40	307.29	17.11
16	45-राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम	366.19	363.88	2.31
<b>पूंजीगत (चार्जड)</b>				
17	लोक ऋण	4,250.68	4,110.29	140.39
<b>कुल</b>		<b>8,365.67</b>	<b>7,494.68</b>	<b>870.99</b>

परिशिष्ट 2.8

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.10; पृष्ठ 57)

मार्च 2013 की समाप्ति पर ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के सरेंडर का ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	ग्रांट संख्या	कुल प्रावधान	सरेंडर की गई राशि	प्रावधान के साथ सरेंडर की प्रतिशतता
<b>राजस्व (वोटिड)</b>				
1	4 - राजस्व	923.08	382.23	41
2	7 - योजना तथा सांख्यिकी	392.48	270.33	69
3	8 - भवन एवं सड़कें	1,148.48	154.44	13
4	9 - शिक्षा	8,182.35	1,575.61	19
5	10 - तकनीकी शिक्षा	357.15	68.18	19
6	11 - खेल तथा युवा कल्याण	142.87	19.10	13
7	13 - स्वास्थ्य	1,849.98	254.71	13
8	14 - शहरी विकास	268.30	41.70	16
9	15 - स्थानीय सरकार	1,755.46	351.92	20
10	17 - रोजगार	74.91	15.51	21
11	19 - एस.सी.ज, एस.टी.ज और अन्य बी.सी.ज का कल्याण	370.31	32.76	9
12	20 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1,747.47	66.14	4
13	21 - महिला तथा बाल विकास	631.96	46.29	7
14	23 - खाद्य एवं आपूर्ति	206.98	107.83	52
15	24 - सिंचाई	1,406.77	99.00	7
16	25 - उद्योग	95.89	22.28	23
17	27 - कृषि	904.15	190.78	21
18	28 - पशुपालन तथा डेरी विकास	465.36	62.00	13
19	30 - वन तथा वन्य जीवन	272.37	10.84	4
20	32 - ग्रामीण तथा सामुदायिक विकास	1,539.83	142.79	9
21	33 - सहकारिता	306.05	14.30	5
22	34 - परिवहन	1,422.98	105.39	7
23	36 - गृह	1,900.48	42.33	2
24	39 - सूचना तथा प्रचार	89.26	24.50	27
25	40 - ऊर्जा तथा विद्युत	5,160.03	11.45	0.22
26	41 - इलैक्ट्रॉनिक्स और आई.टी.	25.80	19.06	74
27	42 - न्याय प्रशासन	351.66	78.18	22
28	44 - प्रिंटिंग व स्टेशनरी	43.64	17.14	39
<b>राजस्व (चार्जिड)</b>				
29	6-वित्त	5,477.36	176.10	3
<b>पूँजीगत (वोटिड)</b>				
30	8-भवन तथा सड़कें	1,827.28	229.53	13
31	शिक्षा	13.60	13.60	100

क्र. सं.	ग्रांट संख्या	कुल प्रावधान	सरेंडर की गई राशि	प्रावधान के साथ सरेंडर की प्रतिशतता
32	14-शहरी विकास	420.00	71.30	17
33	18-औद्योगिक प्रशिक्षण	43.89	15.84	36
34	23-स्वाद्य एवं आपूर्ति	6,855.41	283.37	4
35	24-सिंचाई	522.71	35.14	7
36	33-सहकारिता	85.29	15.83	19
37	34-परिवहन	166.69	32.71	20
38	36-गृह	95.00	29.84	31
39	38-जन स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति	1,156.10	307.29	27
40	40-ऊर्जा तथा विद्युत	910.63	712.01	78
41	45-राज्य सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम	888.18	363.88	41
<b>पूँजीगत (चार्जड)</b>				
42	8-भवन तथा सड़कों	15.00	11.64	78
43	लोक ऋण	10,548.82	4,110.29	39
<b>कुल</b>		<b>61,062.01</b>	<b>10,635.16</b>	<b>17</b>

परिशिष्ट 2.9

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.11; पृष्ठ 57)

वर्ष की अन्तिम तिमाही/माह में व्यय की अधिकता दर्शाने वाले ब्यौरे

क्र. सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष योजना/स्कीम	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अन्तिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2013 के दौरान व्यय	
				राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता	राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता
1.	04- राजस्व	2705- कमाण्ड क्षेत्र विकास	20.70	10.25	49.52	7.50	36.23
2.	06- वित्त	2049- ब्याज भुगतान	4,744.48	2,178.23	45.91	1,652.06	34.82
3.		2048- छूट के लिए एप्रोप्रिएशन अथवा एवाइडेंस आफ डेब्ट	210.84	210.84	100	210.84	100
4.	07- योजना एवं सार्विकी	3451- सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	110.22	105.30	95.54	90.59	82.19
5.	08- भवन एवं सड़कें	3054- सड़क एवं पुल	809.60	386.26	47.71	322.65	39.85
6.	13- स्वास्थ्य	2211- परिवार कल्याण	124.06	57.59	46.42	41.39	33.36
7.	14- शहरी विकास	2217- शहरी विकास	226.82	203.78	89.84	169.15	74.57
8.	18- औद्योगिक प्रशिक्षण	4250- अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	26.26	15.43	58.76	10.39	39.57
9.	19- अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण	2225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	336.44	171.48	50.97	108.33	32.20
10.	24- सिंचाई	2701-मध्यम सिंचाई	191.33	172.96	90.40	171.16	89.46
11.		4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	585.69	340.45	58.13	288.93	49.33
12.		4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	138.48	77.91	56.26	73.39	53.00
13.		4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय	163.30	93.08	57.00	85.62	52.43
14.	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	3604- स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और सुपुर्दगी	101.89	60.76	59.63	60.54	59.42
15.	33-सहकारिता	2425 सहकारिता	291.82	241.97	82.92	151.82	52.03
16.		4425- सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	68.75	64.65	94.04	64.86	94.34
17.	36-गृह	4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	65.16	45.27	69.48	28.08	43.09
<b>कुल</b>			<b>8,215.84</b>	<b>4,436.21</b>	<b>53.99</b>	<b>3,537.30</b>	<b>43.05</b>

## परिशिष्ट 2.10

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4.1; पृष्ठ 58)

ऐसे मामलों के विवरण जहां मुख्य शीर्ष के तहत नए उप/विस्तृत और विषय शीर्ष प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की सहमति के बिना खोले गए

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	विस्तृत शीर्ष	विषय शीर्ष
2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (योजना)	02-सामाजिक कल्याण	103-महिला कल्याण	87-ऐच्छिक क्षेत्र (प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्रों तथा स्टाइपेंडरी स्कीम) का सुदृढीकरण	99-बाल कल्याण परिषद, भारतीय ग्रामीण महिला संघ और अन्य सरकारी एन.जी.ओज सहित सरकार द्वारा समर्थित एन.जी.ओज को विशिष्ट उद्देश्य के लिए जी.आई.ए.
2403-पशुपालन योजना	51-	101-पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य	62- पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (100% सी.सी.एस.)	
	51-	789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना	93-जातियों को रोजगार अवसर और उनके पशुधन का बीमा	
4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत आउटले (योजना)	01-कार्यालय भवन	51-निर्माण	68-राज्य सतर्कता ब्यूरो के लिए कार्यालय भवन का निर्माण	
5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत आउटले (योजना)	03-राज्य राजमार्ग	101-पुल	81-हरियाणा राज्य में पुलों का निर्माण	99- नाबाई स्कीम के लिए सड़कों का निर्माण/सुदृढीकरण/चौड़ा करना और बाईपास 16-मुख्य कार्य
			98- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र स्कीम के लिए पुलों और रेलवे ओवरब्रिजों का निर्माण	16- मुख्य कार्य
		337-सड़कें 88- हरियाणा में सड़क निर्माण	99-नाबाई स्कीम के लिए सड़कों का निर्माण, सुदृढीकरण/चौड़ा करना और पासिज	16- मुख्य कार्य
		88-हरियाणा राज्य में सड़क निर्माण	99-राज्य स्कीम के लिए सड़कों का निर्माण/सुदृढीकरण/चौड़ा करना और सुधार	16- मुख्य कार्य
			99-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र स्कीम के लिए सड़कों का निर्माण/सुदृढीकरण/चौड़ा करना और अपग्रेडेशन	16- मुख्य कार्य

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष हेतु राज्य के वित्तों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	विस्तृत शीर्ष	विषय शीर्ष
04-जिला और अन्य सड़कें	101-पुल	84-हरियाणा राज्य में पुल और रेलवे ओवरब्रिजों का निर्माण	99- राज्य स्कीम के तहत पुलों और रेलवे ओवरब्रिजों का निर्माण	16-मुख्य कार्य
			98- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र स्कीम के तहत पुलों और रेलवे ओवरब्रिजों का निर्माण	16-मुख्य कार्य
			97- नाबाई स्कीम के तहत पुलों और रेलवे ओवरब्रिजों का निर्माण	16-मुख्य कार्य
04-जिला और अन्य सड़कें	337-सड़कें	99-जिला सड़कें	99-राज्य स्कीम के लिए सड़कों का निर्माण/सुदृढीकरण/चौड़ा करना और सुधार	16-मुख्य कार्य
		98-ग्रामीण सड़कें	98-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र स्कीम के तहत निर्माण/सुदृढीकरण/चौड़ा करना	16-मुख्य कार्य
		98-ग्रामीण सड़कें	99-राज्य स्कीम के लिए सड़कों का निर्माण/सुदृढीकरण/चौड़ा करना और बाईपास	16-मुख्य कार्य
			98- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र स्कीम के लिए सड़कों का निर्माण/सुदृढीकरण/चौड़ा करना और बाईपास	16-मुख्य कार्य
			97-नाबाई स्कीम के लिए सड़कों का निर्माण/सुदृढीकरण/चौड़ा करना और बाईपास	16-मुख्य कार्य

## परिशिष्ट 2.11

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4.2; पृष्ठ 58)

वर्ष 2012-13 के लिए भुगतान के समर्थन में वाउचरों को प्रस्तुत न करना

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	ट्रेजरी का नाम	वाउचरों की संख्या	राशि
1.	अंबाला	44	1,51,53,014
2.	भिवानी	143	1,91,21,046
3.	चण्डीगढ़	16	34,66,177
4.	दिल्ली	शून्य	शून्य
5.	फरीदाबाद	59	3,53,73,966
6.	फतेहाबाद	07	9,46,599
7.	गुडगांव	52	6,59,91,966
8.	हिसार	30	42,29,411
9.	जगाधरी	41	57,43,901
10.	झज्जर	45	66,65,449
11.	जींद	03	40,675
12.	कैथल	15	14,83,174
13.	करनाल	207	5,14,59,605
14.	कुरुक्षेत्र	शून्य	शून्य
15.	नारनौल	06	2,24,097
16.	नूंह	28	38,10,389
17.	पानीपत	35	27,52,265
18.	पंचकुला	07	2,79,476
19.	रेवाड़ी	43	42,70,583
20.	रोहतक	110	98,38,157
21.	सिरसा	21	2,54,34,070
22.	सोनीपत	27	7,45,007
<b>कुल</b>		<b>939</b>	<b>25,70,29,027</b>

**परिशिष्ट 2.12**

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4.3; पृष्ठ 58)

**मृत्यु-सह-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी/ग्रेच्युटी का भुगतान न करना**

क्र.सं.	ट्रेजरी/सब-ट्रेजरी का नाम	डी.सी.आर.जी./ग्रेच्युटी लंबित अथारिटीज की संख्या
1.	भिवानी	12
2.	फतेहाबाद	02
3.	गुड़गांव	14
4.	रोहतक	15
5.	सोनीपत	13
6.	नूंह	02

**परिशिष्ट 2.13**  
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4.4; पृष्ठ 59)

भुगतान की पहली लिस्ट – ट्रेजरीज़ द्वारा प्रत्येक माह जिससे लेखे संबंधित हों, की 13 से 17 तक देय लेखाओं के देरी से प्रस्तुतिकरण को इंगित करती विवरणी (अप्रैल 2012 से मार्च 2013 )

क्र.सं.	माह	ट्रेजरी का नाम	प्राप्ति की वास्तविक तारीख	विलंब (दिनों के संबंध में)
1.	अप्रैल 2012	भिवानी	26 अप्रैल 2012	09
		चण्डीगढ़	24 अप्रैल 2012	07
		नारनौल	27 अप्रैल 2012	10
2.	मई 2012	अंबाला	25 मई 2012	08
		गुड़गांव	22 मई 2012	05
		हिसार	22 मई 2012	05
		जगाधरी	21 मई 2012	04
		नारनौल	22 मई 2012	05
		रोहतक	23 मई 2012	06
3.	जून 2012	अंबाला	02 जुलाई 2012	15
		भिवानी	25 जून 2012	08
		नारनौल	22 जून 2012	05
		रोहतक	27 जून 2012	10
4.	जुलाई 2012	अंबाला	26 जुलाई 2012	09
		रोहतक	23 जुलाई 2012	06
5.	अगस्त 2012	अंबाला	23 अगस्त 2012	06
		झज्जर	21 अगस्त 2012	04
		जींद	21 अगस्त 2012	04
		करनाल	21 अगस्त 2012	04
6.	सितंबर 2012	फरीदाबाद	21 सितंबर 2012	04
7.	अक्तूबर 2012	अंबाला	23 अक्तूबर 2012	06
8.	नवंबर 2012	अंबाला	22 नवंबर 2012	05
		फरीदाबाद	22 नवंबर 2012	05
		करनाल	22 नवंबर 2012	05
		नारनौल	21 नवंबर 2012	04
9.	दिसंबर 2012	अंबाला	27 दिसंबर 2012	10
10.	जनवरी 2013	गुड़गांव	21 जनवरी 2013	04
		जगाधरी	21 जनवरी 2013	04
		झज्जर	22 जनवरी 2013	05
11.	फरवरी 2013	फरीदाबाद	22 फरवरी 2013	05
		झज्जर	22 मार्च 2013	05
12.	मार्च 2013	अंबाला	21 मार्च 2013	04
		फरीदाबाद	22 मार्च 2013	05

**परिशिष्ट 2.14**

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4.4; पृष्ठ 59)

भुगतानों की दूसरी लिस्ट-ट्रेजरी द्वारा, प्रत्येक माह जिससे लेखे संबंधित हों, के बाद वाले माह की तीन एवं सात को देय लेखाओं के देर से प्रस्तुतिकरण को इंगित करने वाली विवरणी (अप्रैल 2012 से मार्च 2013 )

क्र.स.	माह	ट्रेजरी का नाम	प्राप्ति की वास्तविक तिथि	विलंब (दिनों के संबंध में)
1.	अप्रैल 2012	अंबाला	11 मई 2012	04
		भिवानी	14 मई 2012	07
		फरीदाबाद	11 मई 2012	04
		हिसार	14 मई 2012	07
		जगाधरी	11 मई 2012	04
		नारनौल	17 मई 2012	10
		रोहतक	14 मई 2012	07
2.	मई 2012	अंबाला	20 जून 2012	13
		भिवानी	19 जून 2012	12
		दिल्ली	13 जून 2012	06
		फरीदाबाद	13 जून 2012	06
		हिसार	11 जून 2012	04
		जगाधरी	12 जून 2012	05
		ब्रज्जर	11 जून 2012	04
		करनाल	12 जून 2012	05
		नारनौल	14 जून 2012	07
		रोहतक	18 जून 2012	11
3.	जून 2012	अंबाला	18 जुलाई 2012	11
		भिवानी	11 जुलाई 2012	04
		दिल्ली	12 जुलाई 2012	05
		फरीदाबाद	17 जुलाई 2012	10
		फतेहाबाद	11 जुलाई 2012	04
		हिसार	11 जुलाई 2012	04
		जगाधरी	12 जुलाई 2012	05
		नारनौल	18 जुलाई 2012	11
		रोहतक	12 जुलाई 2012	06
4.	जुलाई 2012	अंबाला	13 अगस्त 2012	06
		दिल्ली	13 अगस्त 2012	06
		फरीदाबाद	13 अगस्त 2012	06
5.	अगस्त 2012	अंबाला	11 सितंबर 2012	04
		चण्डीगढ़	11 सितंबर 2012	04
		दिल्ली	11 सितंबर 2012	04
		फरीदाबाद	13 सितंबर 2012	06

क्र.स.	माह	ट्रेजरी का नाम	प्राप्ति की वास्तविक तिथि	विलंब (दिनों के संबंध में)
		हिसार	11 सितंबर 2012	04
		जगाधरी	11 सितंबर 2012	04
		नारनौल	11 सितंबर 2012	04
6.	सितंबर 2012	अंबाला	12 अक्टूबर 2012	05
		फरीदाबाद	15 अक्टूबर 2012	08
		नारनौल	11 अक्टूबर 2012	04
7.	अक्टूबर 2012	अंबाला	15 नवंबर 2012	08
		फरीदाबाद	19 नवंबर 2012	12
		करनाल	12 नवंबर 2012	05
		नारनौल	15 नवंबर 2012	08
		सिरसा	12 नवंबर 2012	05
8.	नवंबर 2012	अंबाला	20 दिसंबर 2012	13
		फरीदाबाद	12 दिसंबर 2012	05
		झज्जर	11 दिसंबर 2012	04
		जींद	11 दिसंबर 2012	04
		नारनौल	13 दिसंबर 2012	06
		पानीपत	11 दिसंबर 2012	04
9.	दिसंबर 2012	झज्जर	11 जनवरी 2013	04
		नारनौल	11 जनवरी 2013	04
10.	जनवरी 2013	अंबाला	12 फरवरी 2013	05
		फरीदाबाद	11 फरवरी 2013	04
		झज्जर	13 फरवरी 2013	06
		जींद	11 फरवरी 2013	04
		नारनौल	12 फरवरी 2013	05
		सोनीपत	11 फरवरी 2013	04
11.	फरवरी 2013	अंबाला	18 मार्च 2013	11
		फरीदाबाद	15 मार्च 2013	08
		हिसार	11 मार्च 2013	04
		झज्जर	13 मार्च 2013	06
		करनाल	12 मार्च 2013	05
		नारनौल	12 मार्च 2013	05
		पानीपत	11 मार्च 2013	04
		सिरसा	13 मार्च 2013	06

परिशिष्ट 2.15

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4.5; पृष्ठ 59)

31 मार्च 2013 को प्रतीक्षित मीमोज प्लस (+) और माइनस (-) की सूची

क्र. सं.	ट्रेजरी	माह
1.	चण्डीगढ़	मई 2012 से मार्च 2013
2.	फतेहाबाद	नवंबर 2012 से मार्च 2013
3.	हिसार	अक्टूबर 2012 से नवंबर 2012 तथा फरवरी 2013 से मार्च 2013
4.	जगाधरी	जनवरी 2013 से मार्च 2013
5.	झज्जर	मार्च 2013
6.	जींद	जून 2012, नवंबर 2012 से मार्च 2013
7.	करनाल	सितंबर 2012 से मार्च 2013
8.	कुरुक्षेत्र	जून 2012 से मार्च 2013
9.	नूंह	अप्रैल 2012 से मार्च 2013
10.	पानीपत	अप्रैल 2012, अगस्त 2012 से मार्च 2013
11.	रोहतक	जनवरी 2013 से मार्च 2013
12.	सिरसा	अक्टूबर 2012 से मार्च 2013

## परिशिष्ट 2.16

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4.6; पृष्ठ 59)

लेखा शीर्ष 8443 – सिविल जमा – 106 व्यक्तिगत जमा खाता के अंतर्गत व्यक्तिगत लेजर लेखाओं जो वर्ष की समाप्ति पर बंद नहीं किए गए थे, की सूची

क्र. सं.	ट्रेजरी	डी.डी.ओ. का नाम	शेष (राशि ₹ में)	संख्या तथा तिथि जिसके द्वारा पी.ए.जी. (ए. एड ई.) कार्यालय को संदर्भित किया गया था
1.	चण्डीगढ़	निदेशक आपूर्ति एवं निपटान हरियाणा, चण्डीगढ़	1,86,03,270.00	डी.ई.पी./पी.एल.ए./2013-14/406 दिनांक 14 जून 2013
2.	चण्डीगढ़	राज्य परिवहन कंट्रोलर हरियाणा, चण्डीगढ़	3,28,50,477.00	
3.	चण्डीगढ़	जी.एम. हरियाणा रोडवेज, चण्डीगढ़	1,52,22,901.00	
4.	चण्डीगढ़	ए.ओ. विकास और पंचायत हरियाणा, चण्डीगढ़	3,27,214.00	
5.	चण्डीगढ़	निदेशक, खाद्य एवं आपूर्ति हरियाणा, चण्डीगढ़	20,87,51,571.00	
6.	चण्डीगढ़	एफ.सी.आर., चण्डीगढ़	52,64,686.00	
7.	चण्डीगढ़	निदेशक सामाजिक न्याय	22,66,735.00	
8.	चण्डीगढ़	सचिव राज्य सूचना आयुक्त हरियाणा	1,70,000.00	
9.	चण्डीगढ़	डी.एफ. एंड सप्लाय कंट्रोलर हरियाणा, चण्डीगढ़	5,33,000.00	
10.	फतेहाबाद	अतिरिक्त सी.जे. शेरिफ पैटी अकाउंट, टोहाना	17,73,158.00	डी.ई.पी./पी.एल.ए./2013-14/408 दिनांक 14-06-2013
11.	फतेहाबाद	अतिरिक्त सी.जे. शेरिफ पैटी अकाउंट, फतेहाबाद	4,49,96,400.00	
12.	फतेहाबाद	कैटल फेयर आफिसर (हिसार) फतेहाबाद	23,09,922.00	
13.	फतेहाबाद	जी.एम. हरियाणा रोडवेज	50,000.00	
14.	फतेहाबाद	शेरिफ पैटी अकाउंट, रतिया	90,984.00	
15.	हिसार	कैटल फेयर फंड, हिसार	40,83,942.12	डी.ई.पी./पी.एल.ए./410 दिनांक 14 जून 2013
16.	जगाधरी	शेरिफ पैटी अकाउंट, जगाधरी	18,43,362.00	डी.ई.पी./पी.एल.ए./2013-14/411 दिनांक 14 जून 2013
17.	जगाधरी	एल.आई.सी. जगाधरी	13,10,967.00	
18.	जगाधरी	शेरिफ पैटी अकाउंट, छछरौली	1,036.15	
19.	झज्जर	शेरिफ पैटी अकाउंट, झज्जर	8,11,259.00	डी.ई.पी./पी.एल.ए./2013-14/412 दिनांक 14 जून 2013
20.	झज्जर	डी.एफ.ओ. झज्जर	18,05,783.00	
21.	झज्जर	शेरिफ पैटी अकाउंट, बहादुरगढ़	9,04,829.00	
22.	जींद	सिविल जज (सीनियर डिवीजन) शेरिफ पैटी, जींद	6,42,565.00	डी.ई.पी./पी.एल.ए./2013-14/413 दिनांक 14 जून 2013
23.	जींद	अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन) सफाई	2,52,133.00	
24.	जींद	अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन) नरवाना	2,26,454.00	
25.	जींद	जिला वन सामाजिक कंट्रोलर, जींद	9,46,413.00	
26.	जींद	ट्रेजरी अधिकारी एल.आई.सी. जींद	22,03,170	
27.	करनाल	जिला अधीक्षक जेल, करनाल	11,10,729.10	डी.ई.पी./पी.एल.ए./2013-14/415 दिनांक 14 जून 2013
28.	करनाल	जिला खाद्य एवं आपूर्ति कंट्रोलर, करनाल	1,75,69,005.00	
29.	करनाल	सिविल जज (सीनियर डिवीजन) शेरिफ पैटी अकाउंट, करनाल	41,01,925.00	
30.	करनाल	जिला वन अधिकारी, करनाल	50,99,318.00	
31.	कुरुक्षेत्र	डी.एफ.एस.सी. कुरुक्षेत्र	1,77,86,266.00	डी.ई.पी./पी.एल.ए./2013-14/416 दिनांक 14 जून 2013
32.	कुरुक्षेत्र	सिविल जज शेरिफ पैटी अकाउंट, कुरुक्षेत्र	9,19,282.00	
33.	कुरुक्षेत्र	एल.आई.सी. कुरुक्षेत्र	14,01,113.00	
34.	कुरुक्षेत्र	आई.टी.आई. (डब्ल्यू.एम.) इन्सट्रक्टर, कुरुक्षेत्र	33,390.00	
35.	कुरुक्षेत्र	आई.टी.आई. (ब्याज) कुरुक्षेत्र	10,52,184.00	

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष हेतु राज्य के वित्तों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	ट्रेजरी	डी.डी.ओ. का नाम	शेष (राशि ₹ में)	संख्या तथा तिथि जिसके द्वारा पी.ए.जी. (ए. एंड ई.) कार्यालय को संदर्भित किया गया था
36.	कुरुक्षेत्र	अतिरिक्त सी.जे. सोनियर डिविजन शेरिफ पैटी अकाउंट, पेहोवा	2,02,57,800.00	
37.	कुरुक्षेत्र	आई.टी.आई. (डब्ल्यूएम.) शाहबाद	12,225.00	
38.	पंचकुला	सहायक कृषि अभियांत्रिकी (एच.क्यू.) पंचकुला	32,646.86	डी.ई.पी./पी.एल.ए./2013-14/419 दिनांक 14 जून 2013
39.	पंचकुला	सी.जे.एम. पंचकुला	16,56,164.00	
40.	पंचकुला	प्रबंधक, सरकारी पाठ्यक्रम पुस्तक तथा प्रैस, पंचकुला	20,60,14,659.00	
41.	पंचकुला	निदेशक, उच्चतर शिक्षा आयुक्त, पंचकुला	2,99,93,122.00	
42.	पंचकुला	चीफ इंजीनियर (पी.) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पंचकुला	63,127.00	
43.	रोहतक	शेरिफ पैटी अकाउंट, रोहतक	8,38,110.90	
44.	रोहतक	आई.टी.आई. (डब्ल्यूएम.) रोहतक	4,98,619.20	
45.	रोहतक	आई.टी.आई., रोहतक	23,88,362.21	
46.	रोहतक	डी.एफ.एस.सी., रोहतक	11,74,817.00	
47.	रोहतक	आई.टी.आई. महम, रोहतक	8,85,983.71	
48.	रोहतक	तहसीलदार एल.ओ.सी. रोहतक	13,56,790.00	
49.	रोहतक	आई.टी.आई. मार्करौली कलां	3,30,091.00	
50.	रोहतक	सिविल जल, रोहतक	8,30,855.90	
51.	सिरसा	एल.आई.सी. सिरसा	1,06,953.87	डी.ई.पी./पी.एल.ए./2013-14/422 दिनांक 14 जून 2013
52.	सिरसा	शेरिफ पैटी अकाउंट, सिरसा	6,30,937.00	
53.	सिरसा	शेरिफ पैटी अकाउंट, डबवाली	1,42,275.00	
54.	सिरसा	के. डिपॉजिट डी.एफ.एस.सी.	43,10,489.00	
55.	सिरसा	सी.एफ.ओ. हरियाणा, सिरसा	1,37,811.00	
56.	सोनीपत	डी.एफ.एस.सी. सोनीपत	2,06,647.06	डी.ई.पी./पी.एल.ए./2013-14/423 दिनांक 14 जून 2013
57.	सोनीपत	एल.आई.सी. सोनीपत	75,914.66	
58.	सोनीपत	शेरिफ पैटी अकाउंट, सोनीपत	11,91,530.30	
59.	सोनीपत	शेरिफ पैटी अकाउंट, गोहाना	1,84,668.35	
60.	सोनीपत	शेरिफ पैटी अकाउंट, गन्नौर	1,38,279.00	
61.	सोनीपत	आई.टी.आई. सोनीपत	22,29,693.41	
62.	सोनीपत	आई.टी.आई. गोहाना	9,30,00,797.00	
63.	सोनीपत	आई.टी.आई. बुटाना	4,49,150.00	
64.	सोनीपत	आई.टी.आई. गन्नौर	5,42,408.65	
65.	सोनीपत	आई.टी.आई. रागलू गढ़ी	68,895.00	
66.	सोनीपत	सी.एफ.ओ. (रोहतक) सोनीपत	22,25,198.16	
67.	सोनीपत	जी.वी.ई.आई. सोनीपत	3,95,885.15	
68.	सोनीपत	आई.टी.आई. सोनीपत	1,01,564.15	
69.	सोनीपत	आई.टी.आई. खरखौदा	82,122.00	
70.	सोनीपत	आई.टी.आई. जी.वी.ई.आई. कठूरा	3,31,391.60	
71.	सोनीपत	आई.टी.आई. सोनीपत	2,45,988.00	
72.	सोनीपत	जी.वी.ई.आई. (रोहतक) सोनीपत	2,741.40	
73.	सोनीपत	फायर फाईटिंग सोनीपत	263.00	
74.	सोनीपत	डी.एफ.ओ. सोनीपत	16,937.00	

## परिशिष्ट 2.17

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5; पृष्ठ 59)

2012-13 के दौरान अनुमानित प्राप्तियां और व्यय और उनके विरुद्ध वास्तविक को दर्शाने वाले ब्यौरे

प्राप्तियां				व्यय			
		बजट अनुमान	वास्तविक			बजट अनुमान	वास्तविक
क	राजस्व लेखा			क.	राजस्व लेखा		
I	कर राजस्व	27,053.18	26,621.15	I	वित्तीय सेवाएं	274.28	270.57
1	बिक्री कर	16,450.00	15,376.58	-1	कर संग्रहण प्रभार	272.83	269.72
2	राज्य उत्पाद शुल्क	3,000.00	3,236.48	-2	अन्य वित्तीय सेवाएं	1.45	0.85
3	स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन	3,000.00	3,326.25	II	सामान्य सेवाएं	12,057.16	11,626.18
4	यात्री और माल कर	450.00	470.76	-1	प्रशासनिक सेवाएं	2,608.20	2,530.69
5	अन्य कर राजस्व	973.28	1148.95	-2	ऋण सेवाएं	5,476.79	4,955.32
6	केंद्रीय करों से हिस्सा	3,179.90	3,062.13	-3	अन्य सामान्य सेवाएं	3,972.17	4,140.17
II	कर - भिन्न राजस्व	10,274.79	7,012.40	III	सामाजिक सेवाएं	15,934.80	14,516.35
1	ऋण सेवाएं	1089.35	1065.26	-1	शिक्षा, खेल और कला एवं संस्कृति	8,332.10	6,734.58
2	सामान्य सेवाएं	292.4	535.15	-2	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,649.02	1,596.85
3	सामाजिक सेवाएं	1,729.44	1,591.20	-3	तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण	498.25	288.93
4	आर्थिक सेवाएं	1,693.35	1,481.54	-4	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2,631.23	2,863.66
5	भारत सरकार से सहायतानुदान	5,470.25	2,339.25	-5	अन्य सामाजिक सेवाएं	2,824.20	3,032.33
				IV	आर्थिक सेवाएं	11,347.74	11,556.73
ख	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	19.72	10.81	-1	ग्रामीण विकास	1,338.13	1,289.96
ग	लोक ऋण	16,207.44	15,213.54	-2	कृषि और संबद्ध गतिविधियां	1,840.32	1705.62
1	बाजार उधार	8,130.33	9,330.00	-3	उद्योग एवं खनिज	117.08	86.9
2	लघु बचत ऋण	600.00	438.40	-4	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	1,448.89	1059.45
3	राज्य योजना ऋण	436.37	51.15	-5	परिवहन	2,265.43	2110.03
4	अन्य ऋण	7,040.74	5,393.99	-6	अन्य आर्थिक सेवाएं	4,337.89	5,304.77
घ	ऋण (वसूलियां)	374.42	349.38	V	सहायतानुदान और अंशदान	169.54	101.89
				ख	पूंजीगत व्यय	4,661.31	5,761.83
				ग	ऋण की रीपेमेंट	9,221.08	5,951.37
				घ	ऋण (अग्रिम)	874.10	521.99
	कुल योग	53,929.55	49,207.28		कुल योग	54,540.01	50,306.91
	(क +ख + ग +घ)				(क +ख + ग +घ)		

परिशिष्ट 2.18

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.2 i; पृष्ठ 61)

स्कीमज जिनके लिए बजट आउटले मूल बजट में अनुमोदित किए गए थे परंतु संशोधित अनुमानों में वापस लिए गए थे, के ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग	विकास का मुख्य शीर्ष	अनुमोदित आउटले
1	कृषि	कृषि सार्विकी का सुधार	25.00
2		ईपेस्ट निगरानी के द्वारा प्लांट हैल्थ केयर	25.00
3		राष्ट्रीय कृषि फसल बीमा योजना	100.00
4		राज्य भूमि प्रयोग बोर्ड, हरियाणा	20.00
5	बागवानी	बागवानी का सुदृढीकरण	10.00
6	सहकारिता	प्राथमिक श्रम सहकारिता समिति को ब्याज सब्सिडी	15.00
7		एच.डी.डी.सी.एफ. के लिए सूचना प्रौद्योगिकी योजना	40.00
8	भूमि अभिलेख	पंजीकरण का कंप्यूटराईजेशन (25:75)	75.00
9	सामुदायिक विकास	जिला परिषद कार्यालय भवन का निर्माण	100.00
10	मेवात विकास बोर्ड	पशुपालन	75.00
11	सिंचाई	मेवात सिंचाई स्कीम	100.00
12		जल विकास सर्वेक्षण और जांच/जल रिचार्जिंग	550.00
13	कंमाड एरिया विकास प्राधिकरण	वाटर लॉग क्षेत्रों का विकास (50:40:10)	132.00
14	विद्युत	डी.सी.आर.टी.पी.पी. यमुनानगर का विस्तार	18,368.00
15		1050 एम.डब्ल्यू. (3x500) गैस आधारित फरीदाबाद	7,490.00
16		हाइड्रल विद्युत घरों और अन्य विविध कार्यों का आर. एंड एम.	3,000.00
17		पी.टी.पी.एस., पी.पी.टी. - यूनिट 3 और 4 ऋण और अनुदान	8,608.00
18		पी.टी.पी.एस., पी.पी.टी. - यूनिट 3 और 4 इक्विटी	2,152.00
19		हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	बी.बी.एम.बी. (एच.) (आर. एंड एम.)
20		आई.बी.आर.डी. इक्विटी	6,357.00
21	रिन्यूएबल एनर्जी	विकेन्द्रित सौर विद्युत पैक/प्लांट के प्रदर्शन आवेदन पत्र (आफ ग्रिड सोलर पावर पैक)	40.00
22		शहरी क्षेत्र में एस.पी.बी. प्रौद्योगिकी और ऊर्जा प्रभावकता का प्रोत्साहन (एल.ई.डी. बेसड होम लाईटिंग)	30.00
23		शहरी क्षेत्र के लिए एस.पी.वी. स्ट्रीट लाईटिंग सिस्टम	40.00
24		ऊर्जा और औद्योगिक अपशिष्ट पर आधारित प्रदर्शन परियोजना की स्थापना	0.10
25		सी.एफ.एल. बेसड सोलर लैन्टून (10 वाट)	21.00
26		आई.ए.वाई. हाउस होल्ड के लिए सोलर सिस्टम	150.00
27	उद्योग	औद्योगिक मूलभूत संरचना अपग्रेडेशन स्कीम (आई.आई.यू.एस.)	200.00
28		सी.एन.जी./पी.एन.जी. के वितरण नेटवर्क की स्थापना	2.00
29		खाद्य संसाधन उद्योगों को प्रोत्साहन	1.00
30		डी.आई.सी. भवनों का निर्माण एवं विस्तार	2.00
31	इलैक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी	सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क	0.10
32		गुड़गांव में आई.आई.आई.टी. की स्थापना	0.10

क्र. सं.	विभाग	विकास का मुख्य शीर्ष	अनुमोदित आउटले
33	सड़क परिवहन	एच.आर.ई.सी. को शेयर कैपिटल	5.00
34		रेगुलेटरी विंग का भूमि एवं भवन कार्यक्रम	100.00
35	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	कार्यालय आटोमेशन कंप्यूटराइजेशन और सूचना	10.00
36		विदेश में प्रशिक्षण/अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने हेतु फेलोशिप/वित्तीय सहायता	1.00
37		हरियाणा विज्ञान प्रतिभा खोज स्कीम	200.00
38	पर्यावरण	विभिन्न कस्बों के पुराने औद्योगिक क्षेत्रों में सीवरेज सहित सी.ई.टी. पी. को प्रोत्साहन	5.00
39		हरियाणा राज्य में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट	23.00
40		खतरनाक अपशिष्ट/ठोस अपशिष्ट प्रबंध/नगर निसार प्रबंध	10.00
41		विकास परियोजनाओं का पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन	5.00
42		घग्गर और मारकंडा कार्य योजना	5.00
43	डी.ई.एस.ए.	आर्थिक सर्वेक्षण	0.50
44	पर्यटन	पिंजौर में पर्यटन सुविधाएं	55.00
45	विकेन्द्रित/जिला आयोजना	विकेन्द्रित आयोजना	1.00
46	सैकेन्डरी शिक्षा	सैकेन्डरी स्कूलों में 10+2 पैटर्न को लागू करना (स्कूलों का अपग्रेडेशन)	11,308.29
47		शिक्षा प्रबंध का सुदृढीकरण स्कूल का प्रशासन और आयोजना - मासिक मैगजीन और टीचर्स डायरी की प्रिंटिंग	97.20
48		अध्यापक कल्याण निधि	50.00
49		शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक के लिए गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण तथा चलाया जाना (सी.एस.एस. 90:10)	360.00
50		झज्जर में राज्य स्तरीय अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान	247.00
51	तकनीकी शिक्षा	वाई.एम.सी.ए. इस्टी.आफ इंजीनियरिंग फरीदाबाद का आधुनिकीकरण	10.00
52		चौधरी देवीलाल मेमोरियल इंजीनियरिंग कालेज, पानी वाला मोटा (सिरसा) की स्थापना	300.00
53		तकनीकी शिक्षा में प्रवेश हेतु एस.सी. के लिए विशेष कोचिंग	500.00
54		एस.सी. के लिए विशेष प्रतियोगिता और प्लेसमेंट के लिए विशेष कोचिंग	50.00
55	चिकित्सा शिक्षा	नालहर, जिला मेवात में मेवात मेडिकल और टीचिंग कालेज की स्थापना	5,909.00
56		भवन का विस्तार और मेडिकल उपकरणों का क्रय	2,500.00
57	स्वास्थ्य	साइकेटरी सेवाओं का सुधार	80.00
58		कैंसर, मेंटल, टी.बी. और रेस्पिरटरी रोगों के लिए राज्य संस्थान	1.00
59		ए.एन.एम./जी.एन.एम. नर्सिंग प्रशिक्षण स्कूल को खोलना/सुदृढीकरण	100.00
60	कर्मचारी राज्य बीमा	ई.एस.आई. डिस्पेंसरी खनक, भिवानी का खोलना	1.20
61		5 डाक्टरों की 14 नई डिस्पेंसरी को खोलना	100.00
62		एच.एस.आई.डी.सी. जगाधरी में 2 डाक्टरों की 2 नई ई.एस.आई. डिस्पेंसरी को खोलना	8.65

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष हेतु राज्य के वित्तों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	विभाग	विकास का मुख्य शीर्ष	अनुमोदित आउटले
63		प्रिथला (फरीदाबाद) रेवाड़ी 3 डाक्टर्स की 2 नई ई.एस.आई. डिस्पेंसरी को खोलना	10.40
64		जवाहर कालोनी फरीदाबाद, कुंडली, राई, करनाल में 4 ई.एस.आई. डिस्पेंसरी का अपग्रेडेशन	8.50
65	कला एवं संस्कृति	पदों का सृजन	10.00
66	खेल	राज्य खेल अवार्ड	230.00
67	टाउन एवं कंट्री प्लानिंग (एन.सी.आर.)	स्टडी करवाने के लिए	235.11
68		कर्मचारियों के लिए एच.आर.डी.	20.00
69		चंडीगढ़ मैट्रो	100.00
70	अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण	उन बच्चों को प्री-मैट्रिक स्कालरशिप अवार्ड जिनके माता-पिता अस्वच्छ व्यवसाय में लगे हुए हैं (50:50)	0.60
71	श्रम	फरीदाबाद में श्रम न्यायालय कंप्लैक्स के लिए प्लॉट का क्रय	0.20
72	सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण	वृद्धों और अशक्तों के लिए घर (रेवाड़ी)	200.00
73		राष्ट्रीय केयर गिवर के तहत ट्रेड रजिस्टर्ड की नियुक्ति	20.00
74		स्थानीय स्तर समितियों का निधिकरण	4.20
75		निदेशालय के इंस्टीटयूशनल प्लॉट का खरीदना/भवन का निर्माण	100.00
76	हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान	पुस्तकालय, बुकस-पीरियोडिकल्स और उपकरण	2.00
77		हॉस्टल बिल्डिंग में रिक्रेशनल सुविधाएं	1.00
78		फिल्म प्रशिक्षण/ऑडियो विजुअल उपकरणों का क्रय	2.00
79		अनुसंधान परियोजनाएं	1.00
80		अध्यापकों का विकास अकाउंट	1.00
81		उद्यमी विकास के लिए केंद्र	1.00
82		डी.टी.सी. पंचकुला के लिए फर्नीचर/फिक्सचर की खरीद	1.00
83		इन हाउस क्लीनिक/डिस्पेंसरी सहित प्रशिक्षणार्थियों के लिए चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाना	1.00
84	मत्स्य पालन	राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड (90:10)	2.00
85		इन-लैंड कैपचर फिसरीज (रिवर/रिजर्वब्योर-सी.एस.एस.) का विकास	3.50
86		फ्रेश वाटर प्रोन फार्मिंग का विकास	1.00
87	वन	अरावली पहाड़ियों में भूमि जल के संवर्धन के लिए स्कीम	1.00
88		मसानी बैराज, धारुहेड़ा, रेवाड़ी में हर्बल पार्क और इको टूरिज्म सेंटर का विकास	1.00
		<b>कुल</b>	<b>73,016.65</b>
		<b>अर्थात् ₹ करोड़ में</b>	<b>730.17</b>

## परिशिष्ट 2.19

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.2 ii ; पृष्ठ 61)

स्कीमज, जिनके लिए संशोधित अनुमानों में प्रावधान कम किया गया था परंतु कोई व्यय नहीं किया गया, के ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग	विवरण	अनुमानित आउटले	संशोधित आउटले
1	सामुदायिक विकास	टोटल सेनिटेशन कम्पेन अब निर्मल भारत अभियान	1,200.00	750.00
2	स्वास्थ्य	सिविल पंजीकरण प्रणाली का सुदृढीकरण	35.00	1.00
3		गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को निशुल्क चिकित्सा उपचार प्रदान करना (आरोग्य कोष) (सी.एस.एस. 33:67)	133.00	22.00
4	रिन्यूएबल एनर्जी	शिक्षादीप स्कीम/आई.ए.वाई. हाउसहोल्ड के लिए सोलर सिस्टम	100.00	52.00
5	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी	राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्ययोजना के लिए ए.सी.ए.	1,032.00	879.00
6	डी.ई.एस.ए.	परिवार आय और व्यय सर्वेक्षण	45.00	0.30
7		राज्य और जिला स्तर केंद्र पर स्टेट स्ट्रैटजिक स्टैटिकल (एस.एस. एस.पी.) (सी.एस.एस.)	146.80	50.00
8	सैकेंडरी शिक्षा	आर्थिक रूप से पिछड़े ब्लाकों में माडल स्कूल खोलना (सी.एस.एस. 50:50)	4,166.58	139.00
9	उद्योग	ब्यायलरज आर्गनाइजेशन का सुदृढीकरण	20.00	0.10
10	अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों का कल्याण	निजी संस्थानों द्वारा अनआरगेनाइज्ड सैक्टर में एस.सी. उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए आर्थिक सहायता	0.20	0.10
11		बी.सी. और अल्पसंख्यकों के लिए हाउसिंग फाइनांस स्कीम	170.00	0.03
12	सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण	डिसेब्लड के लिए अनुसंधान केंद्र/विशेष स्कूल और रिक्रेशन सेंटर की स्थापना	25.00	5.00
		<b>कुल</b>	<b>7,073.58</b>	<b>1,898.53</b>
		<b>अर्थात् ₹ करोड़ में</b>	<b>70.74</b>	<b>18.99</b>

**परिशिष्ट 2.20**

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.2 iii; पृष्ठ 61)

स्कीमज, जिनके लिए प्रावधान संशोधित अनुमानों में बढ़ाए गए परंतु कोई व्यय नहीं किया गया, के ब्यौरे

(₹ लाख में)

क्र.स.	विभाग	स्कीम	अनुमोदित आउटले	संशोधित आउटले
1	उद्योग	हरियाणा वित्तीय निगम की हिस्सा पूंजी	1.00	20.00
2	तकनीकी शिक्षा	एस.सी. विद्यार्थियों को फीस की प्रतिपूर्ति	600.00	650.00
3		एस.सी. विद्यार्थियों को स्टाईपेंड	400.00	818.00
4	हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान	वाहन का प्रतिस्थापन	5.00	6.00
		<b>कुल</b>	<b>1,006.00</b>	<b>1,494.00</b>
		<b>अर्थात् ₹ करोड़ में</b>	<b>10.06</b>	<b>14.94</b>

## परिशिष्ट 2.21

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.2 iv; पृष्ठ 61)

स्कीमज, जिनके लिए प्रावधान अनुमोदित आउटले और संशोधित अनुमानों में किया गया था परंतु कोई व्यय नहीं किया गया, के ब्यौरे

(₹ लाख में)

क्र.स.	विभाग	स्कीम का नाम	अनुमोदित आउटले	संशोधित आउटले
1	सिंचाई	एस.वाई.एल. परियोजना का निर्माण (हरियाणा का हिस्सा)	10.00	10.00
2	इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी	एस.यू.आई.डी.ए.आई. (टी.एफ.सी.) के तहत राज्य नागरिक को यूनिट आई.डी	642.00	642.00
3	पी.डब्ल्यू.डी. (भवन तथा सड़कें)	एकमुश्त प्रावधान मशीनरी एवं उपकरण	200.00	200.00
4	चिकित्सा शिक्षा	मैडिकल कालेज/हास्पिटल खानपुर कलां, सोनीपत पी.एच.-2 (एन.सी.आर.पी.बी.) का विस्तार	4,000.00	4,000.00
5	स्वास्थ्य	नशासक्ति केंद्रों का सुदृढीकरण	20.00	20.00
6	आयुष	पी.जी.आई.एम.एस., रोहतक में आयुष का विशेष थैरेपी केंद्र की स्थापना	10.77	10.77
7		माडल डिस्पेंसरीज में डिस्पेंसरीज का अपग्रेडेशन	5.32	5.32
8		योगा केंद्रों की स्थापना	3.60	3.60
9		पी.एच.सीज में आयुष ओ.पी.डी. क्लीनिकों की स्थापना (75:25)	22.00	22.00
10		सी.एच.सीज में आयुष ओ.पी.डी. क्लीनिकों की स्थापना (75:25)	30.00	30.00
11		जिला हस्पतालों में आयुष विंग की स्थापना (75:25)	10.08	10.08
12		आयुष डिस्पेंसरियों का अपग्रेडेशन	0.02	0.02
13	शहरी विकास	एकीकृत अल्प लागत सैनिटेशन स्कीम	100.00	100.00
14		राजीव गांधी आवास योजना	1,900.00	1,900.00
15		चयनित महिला काउंसलरों के लिए प्रशिक्षण योजना	4.00	4.00
16		दुग्ध डेयरियों का स्थानान्तरण	125.00	125.00
17		अग्नि तथा आपातकालीन सेवाएं (टी.एफ.सी.)	2,500.00	2,500.00
18	अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों का कल्याण	एच.एस.सी.एफ. और डी. कारपोरेशन को पूंजीगत हिस्सा (51:49)	163.00	163.00
19		बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (लड़कों के लिए) (50:50)	90.00	90.00
20		अनुसंधान और अध्ययन	10.00	10.00
21	श्रम	बंधुवा मजदूरों का पुनर्स्थापन (सी.एस.एस. 50:50)	2.00	2.00
22	सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण	एच.बी.सी.के.एन. का पूंजीगत हिस्सा	141.50	141.50
23		वृद्धों के लिए राज्य पुरस्कार की स्कीम	11.00	11.00
24		हरियाणा के वरिष्ठ नागरिकों को आई. कार्ड जारी करना	20.00	20.00
25		हरियाणा के वरिष्ठ नागरिकों को चश्मे प्रदान करना	10.00	10.00
26		वरिष्ठ नागरिक सम्मान क्लब	160.50	160.50
27		हरियाणा में नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना के लिए एन.जी.ओज को वित्तीय सहायता	100.00	100.00
28		विकलांगों के लिए एच.बी.सी. और ई.डब्ल्यू.एस.के.एन. को पूंजीगत हिस्सा	141.50	141.50
29	महिला तथा बाल विकास	किशोरों का कला निर्माण पुनर्स्थापन	1.00	1.00
30		महात्मा गांधी स्वालंबन योजना	1.00	1.00
31	लोक निर्माण (सामान्य प्रशासन)	हास्पिटैलिटी भवन	4.00	4.00
32		ट्रेजरी और लेखा भवन	3.00	3.00
33	अन्य सामान्य सेवाएं	आबकारी और कराधान-वाणिज्यिक कर प्रशासन के कंप्यूटराइजेशन के लिए मिशन मोड परियोजना (सी.एस.एस.)	220.00	220.00
		<b>कुल</b>	<b>10,661.29</b>	<b>10,661.29</b>
		<b>अर्थात् ₹ करोड़ में</b>	<b>106.61</b>	<b>106.61</b>

परिशिष्ट 2.22

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.2 v; पृष्ठ 61)

स्कीमज, जहां बजट अनुमान बढ़ाए गए थे परंतु व्यय मूल प्रावधान से कम था, के ब्यौरे

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग	स्कीम	अनुमोदित आउटले	संशोधित आउटले	वास्तविक व्यय	कालम 6 से कालम 4 की प्रतिशतता	कालम 5 से कालम 6 की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	कृषि	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के. वी.वाई.)	25,000.00	26,400.00	16,461.58	65.85	62.35
2.		एस.सी. के लिए खाद्यान्नों का सुरक्षित और वैज्ञानिक भंडार	376.00	600.00	300.00	79.79	50
3.	बागवानी	कृषीय मानव संसाधन विकास परियोजना	95.00	97.31	92.75	97.63	95.31
4.	पशुपालन और डेरी उद्योग	दूध, अंडा, ऊन और मीट के उत्पादन का सैपल सर्वे एस्टीमेशन के लिए स्कीम (50:50 शेयरिंग वेसिस)	75.00	78.50	69.59	92.79	88.65
5.	सामुदायिक विकास	स्वच्छता लागू करने के लिए ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता	6,026.75	6,050.00	5,873.63	97.46	97.08
6.		स्वास्थ्य और स्वच्छता स्कीम, शिक्षा और ग्रामीण सड़कों	600.00	650.00	550.40	91.73	84.68
7.	विद्युत	फीडर्स का बाई/ट्राइफिकेशन	2,520.00	2,658.00	443.00	17.58	16.67
8.		एन.टी.पी.सी. द्वारा निष्पादित की जा रही 1500 एम.डब्ल्यू. कोयला आधारित थर्मल पावर परियोजना, झज्जर	3,835.00	5,808.00	3,500.00	91.26	60.26
9.	पी.डब्ल्यू.डी. (भवन तथा सड़कों)	जिला तथा अन्य सड़कों का चौड़ा करना/सूदृढीकरण (सी.ए.)	3,269.00	3,756.00	2,913.65	89.13	77.57
10.	एलीमेंटरी शिक्षा	मिड-डे-मील स्कीम (सी.एस.एस.)	3,500.00	3,628.84	2,712.04	77.49	74.74
11.		प्राथमिक शिक्षा का कंप्यूटराइजेशन और नेटवर्किंग	50.00	60.00	42.94	85.88	71.57
12.		बी.सी.-ए. छात्रों को मासिक स्टैंडिंग (I-VIII)	7,300.00	7,702.00	6,341.30	86.87	82.33
13.	कला और संस्कृति	राज्य में पुस्तकालय सुविधाओं का विस्तार जिला/सब-डिवीजन स्थापना	66.00	76.00	41.54	62.94	54.66
14.	सैकेण्डरी शिक्षा	सरकारी उच्च/सीनियर सैकेण्डरी स्कूलों में ड्यूलडैस्क का प्रावधान	800.00	4,300.00	730.71	91.34	16.99
15.	तकनीकी शिक्षा	तकनीकी शिक्षा परियोजना चरण - IV	950.00	1,060.00	8.88	0.93	0.84
16.	खेल	युवा विकास	100.00	103.00	97.89	97.89	95.04
17.		एस.सी.जे. के लिए मूलभूत संरचना स्कीम	500.00	650.00	483.45	96.69	74.38

क्र. सं.	विभाग	स्कीम	अनुमोदित आउटले	संशोधित आउटले	वास्तविक व्यय	कालम 6 से कालम 4 की प्रतिशतता	कालम 5 से कालम 6 की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8
18.	स्वास्थ्य	देवी रूपक राष्ट्र उत्थान एवं परिवार कल्याण योजना	55.00	60.00	44.96	81.75	74.93
19.		एस.सी.जे के लिए जननी सुरक्षा स्कीम (एस.सी.एस.पी.)	1,200.00	1,900.00	792.43	66.04	41.71
20.	आयुष	श्री कृष्णा सरकारी आयुर्वेदिक कालेज, कुरुक्षेत्र का सुधार और इस कालेज/अस्पताल के लिए भवन का निर्माण	268.87	279.54	249.55	92.81	89.27
21.	कर्मचारी राज्य बीमा	ई.एस.आई. अस्पताल, भिवानी के बाकी स्टाफ की निरंतरता	6.90	7.46	5.60	81.16	75.07
22.		ई.एस.आई. अस्पताल, सैक्टर - 8 फरीदाबाद के स्टाफ की निरंतरता	6.00	7.89	5.23	87.17	66.29
23.		रोज - का - मियो, सोहाना गुड़गांव में ई.एस.आई. डिस्पेंसरी को चलाना	4.00	5.61	2.98	74.5	53.12
24.		बावल में ई.एस.आई. डिस्पेंसरी को खोलना	5.95	6.23	4.42	74.29	70.95
25.		मानेसर, गुड़गांव में ई.एस.आई. डिस्पेंसरी खोलना	7.00	7.47	4.89	69.86	65.46
26.		ए.डी.ए. के एक पद का सृजन	1.00	1.13	0.65	65	57.52
27.	जन स्वास्थ्य	इंदिरा गांधी पेयजल स्कीम - ग्रामीण	3,300.00	6,000.00	2,583.49	78.29	43.06
28.		इंदिरा गांधी पेयजल स्कीम - शहरी	700.00	1,000.00	305.63	43.66	30.56
29.	शहरी विकास	एकीकृत हाउसिंग और स्लम विकास कार्यक्रम - आई.एच.एस.डी.पी.	2,777.00	4,052.13	2,498.68	89.98	61.66
30.		शहरी स्थानीय निकायों के लिए वेट पर सरचार्ज का हिस्सा	51,200.00	54,270.00	49,254.25	96.2	90.76
31.		तेरहवें वित्त आयोग के तहत विकास कार्य	9,244.00	9,555.00	6,080.73	65.78	63.64
32.	अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों का कल्याण	हरियाणा बी.सी. और ई.डब्ल्यू.एस. कल्याण निगम को प्रशासनिक व्ययों के लिए सब्सिडी	135.00	315.87	131.55	97.44	41.65
33.	श्रम	फरीदाबाद, गुड़गांव में लेबर काम्पलेक्स निर्माण	222.80	227.80	217.93	97.81	95.67
34.	रोजगार कार्यालय	रोजगार कार्यालय आपरेशन्स का कंप्यूटराइजेशन	25.00	29.00	15.00	60	51.72
35.	सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण	शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को पेंशन	9,076.00	9,318.83	8,988.75	99.04	96.46

क्र. सं.	विभाग	स्कीम	अनुमोदित आउटले	संशोधित आउटले	वास्तविक व्यय	कालम 6 से कालम 4 की प्रतिशतता	कालम 5 से कालम 6 की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8
36.		इंदिरा गांधी राष्ट्रीय परिवार लाभ स्कीम	700.00	1,200.00	531.10	75.87	44.26
37.		अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (75:25)	30.00	198.00	28.39	94.63	14.34
38.	औद्योगिक प्रशिक्षण और व्यवसायिक शिक्षा	एस.सी./एस.टी. छात्रों के लिए स्किल प्रशिक्षण	1,750.00	1,900.00	878.32	50.19	46.23
39.		मशीनरी, उपकरण और फर्नीचर का आधुनिकीकरण (ए.सी.ए.)	1,639.33	1,675.00	1,602.60	97.76	95.68
40.	लोक निर्माण (सामान्य प्रशासन)	जेल भवन	1,370.00	1,470.00	1,138.53	83.1	77.45
41.	अन्य सामान्य सेवाएं	ट्रेजरी और लेखे	300.00	830.00	110.04	36.68	13.26
42.		उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम	30,700.00	41,680.00	29,247.00	95.27	70.17
43.	वन	बहु-प्रयोग क्षेत्रों में वन्य जीवन की सुरक्षा	190.00	200.00	185.49	97.63	92.75
44.	सहकारिता	अनुसूचित जातियों के सदस्यों को ब्याज सब्सिडी	60.00	100.00	30.65	51.08	30.65
45.		एस.सी. और सामान्य एल./सी. समितियों को सहायता	75.00	100.00	42.10	56.13	42.1
46.	सूचना एवं प्रचार	मास कम्यूनिकेशन में प्रशिक्षण	99.50	104.87	82.56	82.97	78.73
		<b>कुल</b>	<b>1,70,211.10</b>	<b>2,00,179.48</b>	<b>1,45,726.85</b>		
		<b>अर्थात् ₹ करोड़ में</b>	<b>1,702.11</b>	<b>2,001.79</b>	<b>1,457.27</b>		

## परिशिष्ट 2.23

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.2 vi; पृष्ठ 61)

संशोधित अनुमानों में शामिल स्कीमों के ब्यौरे किंतु कोई व्यय नहीं किया गया

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग	स्कीम	संशोधित आउटले
1	विद्युत	पी.पी.पी. परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार से सहायता - यू.एच.बी.वी.एन.	774.00
2		पी.पी.पी. परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार से सहायता - द.ह.बि.वि.नि.	754.00
3	उच्चतर शिक्षा	राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना (सोनीपत)	500.00
4	स्वास्थ्य	शिशु मृत्यु दर में कमी (आई.एम.आर) (टी.एफ.सी.)	1,222.00
5		शहरी स्वास्थ्य मिशन (नई स्कीम)	1.00
6	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम	325.00
7	नगर एवं ग्राम आयोजना (एन.सी.आर.)	दिल्ली के आस पास एन.सी.आर. सैटेलाइट के विकास के लिए हुडा को सहायता अनुदान	2,865.00
8		क्षेत्रीय रैपिड पारगमन प्रणाली (आर.आर.टी.एस.)	1,250.00
<b>कुल</b>			<b>7,691.00</b>
<b>अर्थात् ₹ करोड़ में</b>			<b>76.91</b>

परिशिष्ट 2.24

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.2 vii; पृष्ठ 61)

स्कीमज, जिनके लिए अनुमानित आउटले के साथ-साथ संशोधित अनुमान में कोई प्रावधान नहीं किया गया था किंतु व्यय किया गया, के ब्यौरे

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग	स्कीम	वास्तविक व्यय
1	हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय	एस.सी.एस.पी.	307.15
2		ए.आई.सी.आर.पी. का 25% राज्य हिस्सा	518.01
3	हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान	हिपा कंपलैक्स में चारदीवारी को उठाना	3.79
<b>कुल</b>			<b>828.95</b>
<b>अर्थात् ₹ करोड़ में</b>			<b>8.29</b>

## परिशिष्ट 2.25

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.2 viii; पृष्ठ 62)

स्कीमज, जिनके संशोधित बजट कम किए गए थे किंतु वास्तविक व्यय किए गए प्रावधान से कम था, के ब्यौरे

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग	विवरण	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
1.	ग्रामीण विकास	पिछड़ा क्षेत्र ग्रांट निधि (बी.आर.जी.एफ.)	3,300.00	3,215.00	2,392.36
2.		स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) (75:25)/ राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन	1,380.00	1,280.00	781.00
3.		ग्राम सेविकाओं को वेतन	386.00	221.00	148.74
4.	भूमि अभिलेख	राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (50:50)	1,740.00	1,000.00	210.80
5.	मेवात विकास बोर्ड	सामुदायिक कार्य	250.00	232.00	69.26
6.	सिंचाई	पंपों और नए पंपों की क्षमता में सुधार	1,500.00	200.00	76.71
7.		त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.)	3,800.00	2,000.00	746.73
8.	उद्योग	एकीकृत हथकरघा विकास स्कीम (सी.एस.एस.)	30.00	10.00	1.15
9.		हथकरघा, हस्तकला और निर्यात को प्रोत्साहन	7.00	5.00	1.43
10.		राज्य में एम.एस.एम.ई. की परिगणना	116.00	104.00	69.83
11.	लोक निर्माण विभाग (भवन व सड़कें)	भूमि अधिग्रहण और चार्जड राशि	1,500.00	1,300.00	335.96
12.	प्राथमिक शिक्षा	सर्व शिक्षा अभियान (सी.एस.एस. 65:35)	72,000.00	43,968.59	25,805.69
13.	कर्मचारी राज्य बीमा	वर्तमान अस्पतालों का आधुनिकीकरण/उपकरणों का क्रय	18.50	6.25	1.97
14.	बाह्य सहायतार्थ परियोजना	विद्युत संचारण और वितरण	43,637.00	16,525.00	9,799.52
<b>कुल</b>			<b>1,29,664.50</b>	<b>7,00,66.84</b>	<b>40,441.15</b>
<b>₹ करोड़ में</b>			<b>1,296.65</b>	<b>700.67</b>	<b>404.41</b>

परिशिष्ट 2.26

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.2 ix; पृष्ठ 62)

स्कीमज, जिनमें वास्तविक व्यय प्रावधानों से अधिक थे, के ब्यौरे

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग	विवरण	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
1	हरियाणा कृषि	फसल फार्म	184.60	184.60	203.62
2		कल्याण एवं सेवाएं	209.50	206.60	884.53
3		अनुसंधान	6,108.12	1,237.63	4,266.13
4	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	नाबाई	7,100.00	7,100.00	7,324.39
5		जलापूर्ति का संवर्धन - ग्रामीण	7,500.00	6,000.00	6,351.51
6		जलापूर्ति का संवर्धन - शहरी	10,775.00	8,750.00	8,972.12
7	औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा	औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के लिए मूलभूत संरचना का सृजन	2,000.00	2,000.00	2,745.29
8	हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान	एच.आई.पी.ए. गुडगांव के लिए विद्युत उपकरणों का क्रय	10.00	1.43	4.71
9	लोक निर्माण (सामान्य प्रशासन)	आबकारी और कराधान भवन/चैक बैरियर इत्यादि	1,150.00	150.00	454.57
10	कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरण	जल मार्गों का पुनरूत्थान	3,000.00	1,085.14	1,232.93
11	विद्युत	सिविल कार्य और विविध कार्य	300.00	150.00	300.00
12		आई.बी.आर.डी. लोन और इक्विटी	12,000.00	1,875.00	2,974.02
13	प्राथमिक शिक्षा	शिक्षा के कानूनी अधिकार का कार्यान्वयन	16,200.00	9,095.20	9,347.83
14	माध्यमिक शिक्षा	एच.क्यू., डी.ओ., एस.डी.ई.ओ. कार्यालयों का ई-गवर्नेंस और कंप्यूटराइजेशन	200.00	145.00	150.07
15	तकनीकी शिक्षा	सिविल कार्य	400.00	400.00	677.87
16	श्रम	निसहाय और प्रवासी बाल श्रम का पुनरूत्थान	105.00	70.00	75.00
17	पशुपालन एवं डेयरी उद्योग	एकीकृत मुराह विकास के लिए स्कीम	400.00	4.00	23.77
18	लोक निर्माण विभाग (भवन व सड़कों)	राज्य राज मार्ग एवं एम.डी.आर.ज पुल	9,000.00	8,000.00	8,052.37
19	आयुष	विभिन्न आई.एस.एम. और संस्थाओं को सहायता अनुदान	50.00	50.00	58.07
20	कृषि	सरस्टेनिबल स्ट्रेटिजिक इनीसिएटिव को प्रोत्साहन	1,000.00	870.00	903.95
21		हरियाणा किसान आयोग	275.00	169.00	181.00
22		कृषि विस्तार मूलभूत संरचना का सुदृढीकरण	600.00	155.00	176.46
<b>कुल</b>			<b>78,567.22</b>	<b>47,898.60</b>	<b>55,360.21</b>
अर्थात् ₹ करोड़ में			<b>785.67</b>	<b>478.99</b>	<b>553.60</b>

## परिशिष्ट 2.27

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.1 v; पृष्ठ 63)

वर्ष की अंतिम तिमाही/मास में व्यय की अधिकता के साथ अनुदान संख्या 20 (सामाजिक सुरक्षा और कल्याण) के तहत स्कीमों का ब्यौरा

(₹ लाख में)

क्र. सं.	मुख्य लेखा शीर्ष	विस्तृत शीर्ष स्कीमवार	वर्ष 2012 - 13 के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2013 के दौरान व्यय	
				राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता	राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता
<b>प्लान</b>							
1	2235-02-001-एस.बी.-98-डी.टी. 51एन.ए.	स्थापना व्यय	12.78	9.76	76	7.71	60
2	2235-02-101-एस.बी.-74-डी.टी. 51एन.ए.	कार्यशाला, सेमिनार और सम्मेलन के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम	1.20	1.20	100	1.20	100
3	2235-02-101-एस.बी.-65-डी.टी. 51एन.ए.	मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए जीवन भर के लिए घर की स्थापना	10.00	10.00	100	10.00	100
4	2235-02-104-एस.बी.-97-डी.टी. 51एन.ए.	हरियाणा के सभी जिला शहरी क्षेत्र में वरिष्ठ नागरिक क्लब की स्थापना	17.70	17.70	100	10.10	57
5	2235-02-104-एस.बी.-93-डी.टी. 51एन.ए.	वरिष्ठ नागरिक ऐच्छिक एसोशिएशन/नेटवर्क की स्थापना के लिए स्कीम	7.70	7.70	100	7.70	100
6	2235-02-104-एस.बी.-92-डी.टी. 51एन.ए.	हरियाणा रोड़वेज बसों में हरियाणा वासी वरिष्ठ महिला नागरिकों को 50 प्रतिशत रियायत	1,500.00	1,500.00	100	1,500.00	100
7	2235-02-800-एस.बी.-77-डी.टी. 51एन.ए.	अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	113.56	113.56	100	113.56	100
8	2235-02-800-एस.बी.-72-डी.टी. 51एन.ए.	एन.एम.डी.एफ.सी. की राज्य चैनलिंग एजेंसीज के सुदृढीकरण के लिए सहायतानुदान	0.15	0.15	100	0.15	100

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष हेतु राज्य के वित्तों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	मुख्य लेखा शीर्ष	विस्तृत शीर्ष स्कीमवार	वर्ष 2012 - 13 के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2013 के दौरान व्यय	
				राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता	राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता
9	2235-02-800-एस.बी.-76- डी.टी. 51एन.ए.	अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	117.71	81.26	69	81.86	70
10	2235-02-800-एस.बी.-74- डी.टी. 51एन.ए.	अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए मैरिट - कम - मीन्स छात्रवृत्ति	198.47	198.47	100	187.90	95
11	2235-02-103--एस.बी.-99-डी.टी. 51एन.ए.	परिवार लाभ स्कीम (सामान्य आबंटन)	373.35	295.75	79	169.80	45
<b>नॉन - प्लान</b>							
12	2235-02-101-एस.बी.-97-डी.टी. 51एन.ए.	शारीरिक रूप से विकलांग को छात्रवृत्ति	129.06	105.85	82	86.58	67
13	2235-02-101-एस.बी.-95- डी.टी. 51एन.ए.	शिक्षित विकलांग व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता	101.62	101.62	100	99.86	98
14	2235-02-101-एस.बी.-88-डी.टी. 51एन.ए.	कृत्रिम अंगों की प्रतिपूर्ति	7.00	7.00	100	7.00	100
15	2235-02-101-एस.बी.-93-डी.टी. 51एन.ए.	विकलांग संस्था के लिए कार्यक्रम का सुदृढीकरण	13.92	13.92	100	13.92	100
16	2235-02-101-एस.बी.-94-डी.टी. 51एन.ए.	हरियाणा साकेत परिषद चंडीमदिर	20.00	20.00	100	20.00	100
17	2235-02-101-एस.बी.-90-डी.टी. 51एन.ए.	हरियाणा कल्याण समिति /मूक - बधिर के लिए स्कूल	35.00	35.00	100	35.00	100
18	2235-02-101-एस.बी.-89-डी.टी. 51एन.ए.	ऐच्छिक संगठन को वित्तीय सहायता	171.56	85.66	50	76.93	45
<b>कुल</b>			<b>2,830.78</b>	<b>2,604.60</b>	<b>92</b>	<b>2,429.27</b>	<b>85.82</b>
<b>₹ करोड़ में</b>			<b>28.31</b>	<b>26.05</b>		<b>24.29</b>	

## परिशिष्ट 2.28

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.2 vi; पृष्ठ 64)

वर्ष की अंतिम तिमाही/मास में व्यय की अधिकता के साथ अनुदान संख्या 38 (जन स्वास्थ्य और जलापूर्ति) के तहत स्कीमों का ब्यौरा

(₹ लाख में)

क्र. सं.	मुख्य लेखा शीर्ष	स्कीम	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अन्तिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2013 के दौरान व्यय	
				राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता	राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता
<b>प्लान</b>							
1	4215-01-102-93-95-16	टी.एफ.सी. (शिवालिक और दक्षिणी)	2,744.51	1,368.22	49.85	1,250.26	45.55
2	4215-01-101-94-51-16	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	4,094.05	2208	53.93	1,630.97	39.84
3	4215-01-102-93-95-16	टी.एफ.सी. (शिवालिक और दक्षिणी)	1,072.01	425.36	39.68	519.28	48.44
4	4215-02-101-90-51-16	राष्ट्रीय नदी संरक्षण	293.25	293.25	100.00	116.06	39.58
5	4215-01-102-98-97-16	ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. / एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. - सस्टेनेबिलिटी	884.46	828.54	93.68	429.41	48.55
6	2215-01-102-97-51-40	ग्रामीण जल आपूर्ति	807.79	305.68	37.84	277.73	34.38
7	2215-01-101-96-51-18	शहरी बाढ़ जल ड्रेनेज कार्यों का परिचालन और रख-रखाव	493.35	194.09	39.34	159.09	32.25
8	2215-01-800-99-51-20	टूलज और प्लांट	35.01	21.32	60.90	21.32	60.90
<b>कुल</b>			<b>10,424.43</b>	<b>5,644.46</b>	<b>54.15</b>	<b>4,404.12</b>	<b>42.25</b>
<b>₹ करोड़ में</b>			<b>104.24</b>	<b>56.44</b>		<b>44.04</b>	

**परिशिष्ट 2.29**

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.7; पृष्ठ 64)

**चयनित अनुदानों के बजट अनुमानों की प्रस्तुति में विलंब के ब्यौरे**

क्र. सं.	मांग संख्या एवं नोमिनक्लेचर	मुख्य लेखा शीर्ष	कार्यालय का नाम	बजट अनुमान के प्रस्तुतिकरण की संख्या एवं तिथि	वित्त विभाग के मानकों के अनुसार देय तिथि	दिनों में देरी
1	38/2215	2215-नॉन प्लान	प्रमुख अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सैक्टर 4, पंचकुला	558/ 09 जनवरी 2012	14 अक्टूबर 2011 से 04 नवम्बर 2011	65
2		2215-प्लान	प्रमुख अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सैक्टर 4, पंचकुला	3357/ 31 जनवरी 2012	14 अक्टूबर 2011 से 04 नवम्बर 2011	87
3	38/4215	4215-प्लान	प्रमुख अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सैक्टर 4, पंचकुला	3357/ 31 जनवरी 2012	14 अक्टूबर 2011 से 04 नवम्बर 2011	87
4	20/2035	2235-नॉन प्लान	महा - निदेशक, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण, सैक्टर 17, चण्डीगढ़	9 दिसम्बर 2011	14 अक्टूबर 2011 से 04 नवम्बर 2011	34
5		2235-प्लान	महा - निदेशक, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण, सैक्टर 17, चण्डीगढ़	30 जनवरी 2012	14 अक्टूबर 2011 से 04 नवम्बर 2011	86
6	20/4235	4235-प्लान	महा - निदेशक, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण, सैक्टर 17, चण्डीगढ़	30 जनवरी 2012	14 अक्टूबर 2011 से 04 नवम्बर 2012	86

## परिशिष्ट 3.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.1; पृष्ठ 67)

31 मार्च 2013 को देय, प्राप्त एवं बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के ब्यौरे

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	वर्ष	प्रदत्त कुल अनुदान		देय उपयोग प्रमाण - पत्र		प्राप्त उपयोग प्रमाण - पत्र		बकाया उपयोग प्रमाण - पत्र	
			मद	राशि	मद	राशि	मद	राशि	मद	राशि
1.	उद्योग	2009-10	11	1,785.50	5	478.50	4	473.50	1	5.00
		2010-11	13	1,301.03	10	1,201.03	7	1,111.03	3	90.00
		2011-12	28	4,382.41	28	4,382.41	20	3,318.51	8	1,063.90
2.	शिक्षा	2011-12	284	64,808.93	284	64,808.93	58	22,606.81	226	42,202.12
3.	ग्रामीण विकास	2008-09	248	43,297.30	95	22,409.23	78	18,104.37	17	4,364.86
		2009-10	205	39,973.42	105	23,476.42	73	5,567.88	32	17,908.54
		2010-11	405	33,434.75	394	19,507.43	267	6,586.14	127	12,921.29
		2011-12	642	1,05,949.33	642	1,05,949.33	266	43,228.12	376	62,721.21
4.	सामाजिक सुरक्षा और पोषण	2010-11	5	52.14	5	52.14	1	5.68	4	46.46
		2011-12	56	4,877.23	56	4,877.23	55	4,477.23	1	400.00
5.	शहरी विकास	2011-12	64	89,466.88	64	89,466.88	57	85,139.71	7	4,327.17
6.	सहकारिता	2011-12	9	10,623.46	9	10,623.46	--	--	9	10,623.46
7.	स्थानीय निकायों को कम्पनसेशन और एसाइनमेंट	2011-12	2	111.64	2	111.64	1	0.17	1	111.47
कुल			1,972	4,00,064.02	1,699	3,47,404.63	887	1,90,619.15	812	1,56,785.48
₹ करोड़ में				4,000.64		3,474.05		1,906.19		1,567.85

**परिशिष्ट 3.2**

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.2; पृष्ठ 68)

निकायों एवं प्राधिकरणों, जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे, के नाम दर्शानेवाली विवरणी

(₹ लाख में)

क्र.सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
1.	श्री भूतेश्वर मन्दिर तीर्थ, जीन्द	1994-95	25.29
2.	अरावली विकास संगठन, गुड़गांव	1995-96	100.00
3.	सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क ऑफ इंडिया, नई दिल्ली	2002-03	250.00
4.	हरियाणा स्लम क्लियरेंस बोर्ड, चण्डीगढ़	1998-99	700.48
5.	जिला बाल कल्याण परिषद्, रेवाड़ी	1999-2000	38.75
6.	चेरिटेबल एडोमेंट, हरियाणा, मनीमाजरा	2001-02 2002-03	478.00 478.00
7.	ई-गवर्नेंस के लिए आई.टी. उपक्रमण निधि के लिए समिति, चण्डीगढ़	2002-03 2003-04 2004-05 2009-10	165.55 60.00 25.00 56.00
8.	हरियाणा ऊर्जा विकास एजेंसी, चण्डीगढ़	2001-02 2002-03 2003-04 2004-05	67.30 41.50 384.37 25.00
9.	बालग्राम (एस.ओ.एस.) न्यासी बोर्ड राई, चण्डीगढ़	2003-04	240.00
10.	साकेत अस्पताल, पंचकूला	2004-05 2008-09	50.00 30.00
11.	निदेशक, हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, नीलोखेड़ी	2004-05	40.00
12.	हरियाणा राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्	2005-06	170.00
13.	हरियाणा रक्त ट्रांसफ्यूजन परिषद्, पंचकूला	2005-06	150.00
14.	गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत, हरियाणा, चण्डीगढ़	2006-07 2008-09 2009-10	49.89 600.26 490.72
15.	निदेशक, इलैक्ट्रोनिक्स, हरियाणा, चण्डीगढ़	2006-07	378.00
16.	आर.आई.टी.ई.एस. इण्डिया लिमिटेड	2009-10	1,750.00
<b>सहायता प्राप्त निजी महाविद्यालय</b>			
17.	एस.एल.डी.ए.वी. शिक्षण महाविद्यालय, अम्बाला शहर	2012-13	112.71
18.	एम.पी.एन. कालेज, मुलाना (अम्बाला)	2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13	66.58 61.35 105.29 180.78 174.90 225.39
19.	आर्य कन्या महाविद्यालय, अम्बाला छावनी	2012-13	204.99
20.	एस.ए. जैन महाविद्यालय, अम्बाला शहर	2012-13	835.79

क्र.सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
21.	गुरु नानक खालसा महाविद्यालय, यमुनानगर	2009-10 2010-11 2011-12 2012-13	535.53 531.96 834.00 764.32
22.	गुरु नानक कन्या महाविद्यालय, यमुनानगर	2009-10 2010-11 2011-12 2012-13	455.80 508.83 620.12 625.44
23.	महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय, जगाधरी	2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13	49.13 41.68 44.55 53.10 52.89 59.70 70.24 93.58 142.50 158.10
24.	बी.एल.जे. सूईवाला महाविद्यालय, तोशाम (भिवानी)	2012-13	165.82
25.	डी.ए.वी. सैटेनरी महाविद्यालय, फरीदाबाद	2010-11 2011-12 2012-13	307.72 277.32 278.72
26.	सरस्वती महिला महाविद्यालय, पलवल	2010-11 2011-12 2012-13	188.38 193.20 195.60
27.	एस.डी. महिला महाविद्यालय, हांसी (हिसार)	2012-13	141.98
28.	सी.आर. शिक्षा महाविद्यालय, हिसार	2012-13	120.17
29.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, पुण्डरी (कैथल)	2012-13	136.22
30.	भगवान परशुराम महाविद्यालय, कुरुक्षेत्र	2012-13	255.64
31.	सी.आर. शिक्षा महाविद्यालय, रोहतक	2009-10 2010-11 2011-12 2012-13	85.75 132.93 112.04 113.50
32.	गुरु हरि सिंह महाविद्यालय, जीवन नगर, सिरसा	2010-11 2011-12 2012-13	142.60 159.00 185.75
33.	एम.ए. महिला महाविद्यालय, झज्जर	2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13	67.35 77.67 156.34 172.90 184.30 158.87
34.	टी.आर. शिक्षा महाविद्यालय, सोनीपत	2011-12 2012-13	104.44 97.10
35.	सी.आई.एस. कन्या महाविद्यालय, फतेहपुर पुण्डरी (कैथल)	2011-12 2012-13	241.65 249.13
36.	वैश्य शिक्षा महाविद्यालय, रोहतक	2010-11 2011-12 2012-13	87.72 75.37 75.46

क्र.सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
37.	डा. गणेश दास डी.ए.वी. शिक्षा महाविद्यालय, करनाल	2010-11 2011-12 2012-13	53.98 61.78 67.73
38.	वैश्य कन्या महाविद्यालय, समालखा (पानीपत)	2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13	28.45 38.32 39.60 67.61 81.16 38.30 69.35
39.	कन्या महाविद्यालय, खरखौदा (सोनीपत)	2009-10 2010-11 2011-12 2012-13	68.80 112.62 141.60 128.33
40.	जी.बी. शिक्षा महाविद्यालय, रोहतक	2009-10 2010-11 2011-12 2012-13	52.04 69.09 76.30 75.04
41.	सी.आर. किसान महाविद्यालय, जींद	2009-10 2010-11 2011-12 2012-13	236.47 197.27 325.00 343.40
42.	हिन्दू कन्या महाविद्यालय, जींद	2009-10 2010-11 2011-12 2012-13	200.00 212.01 251.58 258.54
43.	आई.बी. महाविद्यालय, पानीपत	2009-10 2010-11 2011-12 2012-13	255.30 416.50 432.50 426.92
44.	डी.एन. महिला महाविद्यालय, कुरुक्षेत्र	2012-13	348.53
45.	आर्य कन्या महाविद्यालय, शाहबाद	2012-13	309.48
46.	आर.के.एस.डी. महाविद्यालय, कैथल	2011-12 2012-13	485.50 547.38
47.	सी.आई.एस. कन्या महाविद्यालय, ढांड डडवान	2012-13	225.40
48.	सी.एम.के. नेशनल कन्या महाविद्यालय, सिरसा	2012-13	258.07
49.	एम.पी. कन्या महाविद्यालय, डबवाली	2012-13	185.97
50.	डी.एन. महाविद्यालय, हिसार	2009-10 2010-11 2011-12 2012-13	502.40 552.19 732.66 659.33
51.	एफ.सी. महिला महाविद्यालय, हिसार	2012-13	323.78
52.	सी.आर.ए. महाविद्यालय, सोनीपत	2009-10 2010-11 2011-12 2012-13	227.94 237.59 386.31 372.33
53.	हिन्दू महाविद्यालय, सोनीपत	2012-13	673.45
54.	ए.पी.जे. सरस्वती कन्या महाविद्यालय, चरखीदादरी	2012-13	155.43

क्र.सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
55.	एम.एल.आर.एस. शिक्षा महाविद्यालय, चरखीदादरी	2012-13	91.26
56.	वैश्य आर्य कन्या महाविद्यालय, बहादुरगढ़	2009-10 2010-11 2011-12 2012-13	78.83 117.67 129.00 134.55
57.	के.एल. मेहता डी.एन. महिला महाविद्यालय, फरीदाबाद	2012-13	403.93
58.	के.एल.पी. महाविद्यालय, रेवाड़ी	2012-13	497.00
59.	आर.डी.एस. पब्लिक कन्या महाविद्यालय, रेवाड़ी	2009-10 2010-11 2011-12 2012-13	131.90 229.20 209.70 257.11
60.	एस.पी. शिक्षा महाविद्यालय, रेवाड़ी	2009-10 2010-11 2011-12 2012-13	47.97 76.93 85.39 69.60
61.	आर.बी.एस. शिक्षा महाविद्यालय, रेवाड़ी	2012-13	46.96
62.	अखिल भारतीय जाट हीरोज ममौरियल महाविद्यालय, रोहतक	2009-10 2010-11 2011-12 2012-13	581.55 672.91 798.94 861.62
63.	जी.बी. डिग्री महाविद्यालय, रोहतक	2009-10 2010-11 2011-12 2012-13	83.09 104.20 134.20 149.40
64.	एल.एन. हिन्दू महाविद्यालय, रोहतक	2009-10 2010-11 2011-12 2012-13	216.74 218.58 266.32 264.11
65.	जी.एम.एन. महाविद्यालय, अम्बाला छावनी	2010-11 2011-12 2012-13	373.44 449.00 488.63
66.	एस.डी. महाविद्यालय, अम्बाला छावनी	2010-11 2011-12 2012-13	541.52 691.07 671.84
67.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, अम्बाला शहर	2010-11 2011-12 2012-13	405.76 684.00 621.82
68.	एम.डी.एस.डी. कन्या महाविद्यालय, अम्बाला शहर	2010-11 2011-12 2012-13	202.69 234.60 230.36
69.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, नेन्योला	2012-13	115.77
70.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, करनाल	2010-11 2011-12 2012-13	210.39 228.10 208.95
71.	के.वी.ए.डी.ए.वी. महिला महाविद्यालय, करनाल	2010-11 2011-12 2012-13	289.36 455.10 364.11
72.	गुरु नानक खालसा महाविद्यालय, करनाल	2010-11 2011-12 2012-13	177.92 208.20 202.88

क्र.सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
73.	एस.डी. महाविद्यालय, पानीपत	2012-13	518.47
74.	गांधी आदर्श महाविद्यालय, समालखा	2010-11 2011-12 2012-13	85.98 104.00 52.52
75.	एस.डी. महिला महाविद्यालय, नरवाना	2012-13	144.53
76.	एम.एल.एन. महाविद्यालय, यमुनानगर	2012-13	699.36
77.	हिन्दू कन्या महाविद्यालय, जगाधरी	2012-13	309.50
78.	एम.एल.एन. महाविद्यालय, रादौर	2010-11 2011-12 2012-13	138.21 200.37 175.50
79.	आई.जी. नैशनल महाविद्यालय, लाडवा	2010-11 2011-12 2012-13	275.16 390.85 266.42
80.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, पेहोवा	2011-12 2012-13	299.75 295.90
81.	आई.जी. महाविद्यालय, कैथल	2012-13	143.84
82.	बी.ए.आर. जनता महाविद्यालय, कौल	2010-11 2011-12 2012-13	178.64 222.29 200.28
83.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, चीका	2012-13	235.54
84.	एम.एम. महाविद्यालय, फतेहाबाद	2012-13	258.54
85.	बी.एस.के. शिक्षा महाविद्यालय, मंडी डबवाली(सिरसा)	2010-11 2011-12 2012-13	53.71 38.50 60.65
86.	सी.आर.एम. जाट महाविद्यालय, हिसार	2012-13	665.02
87.	हिन्दू कन्या महाविद्यालय, सोनीपत	2012-13	729.62
88.	टी.आर. कन्या महाविद्यालय, सोनीपत	2010-11 2011-12 2012-13	133.75 113.63 123.12
89.	गीता विद्या मन्दिर के.एम.वी., सोनीपत	2011-12 2012-13	487.02 503.35
90.	वैश्य महाविद्यालय, भिवानी	2010-11 2011-12 2012-13	428.85 495.90 414.34
91.	आदर्श महिला महाविद्यालय, भिवानी	2010-11 2011-12 2012-13	374.31 422.50 448.11
92.	के.एम. शिक्षा महाविद्यालय, भिवानी	2012-13	99.06
93.	जे.वी.एम. जी.आर.आर. महाविद्यालय, चरखी दादरी	2010-11 2011-12 2012-13	344.82 459.00 441.05
94.	महिला महाविद्यालय, झोझूकलां	2010-11 2011-12 2012-13	30.45 50.55 35.79
95.	वाई.एम. डिग्री महाविद्यालय, नूंह	2010-11 2011-12 2012-13	118.02 144.30 170.78

क्र.सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
96.	एन.बी.जी.एस. मैमोरियल महाविद्यालय, सोहना	2010-11 2011-12 2012-13	186.80 194.70 226.74
97.	आर.एस.एल. शिक्षा महाविद्यालय, सिंधरावली	2012-13	120.14
98.	जी.जी.एस.डी. महाविद्यालय, पलवल	2010-11 2011-12 2012-13	387.34 428.50 450.97
99.	अग्रवाल महाविद्यालय, बल्लभगढ़	2012-13	390.09
100.	डी.ए.वी. कन्या महाविद्यालय, कोसली रेवाड़ी	2012-13	11.90
101.	वैश्य महाविद्यालय, रोहतक	2010-11 2011-12 2012-13	317.14 424.45 407.83
102.	वैश्य कन्या महाविद्यालय, रोहतक	2012-13	317.58
103.	एस.जे.के. महाविद्यालय, कलानौर	2010-11 2012-13	219.11 202.52
104.	आर्य महाविद्यालय, पानीपत	2012-13	355.24
105.	अहीर महाविद्यालय, रेवाड़ी	2012-13	262.27
106.	एम.के. जाट कन्या महाविद्यालय, रोहतक	2012-13	296.44
107.	एस.एम. लुबाना खालसा कन्या महाविद्यालय, बराड़ा	2012-13	186.12
108.	दयाल सिंह महाविद्यालय, करनाल	2012-13	538.15
109.	डी.ए.बी. महाविद्यालय, सढौरा	2012-13	146.03
110.	एम.एन. महाविद्यालय, शाहाबाद	2012-13	224.50

परिशिष्ट 3.3  
(संदर्भ: अनुच्छेद 3.3; पृष्ठ 68)

स्वायत्त निकायों द्वारा राज्य विधायिका को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण तथा सी.ए.जी. को लेखे के प्रस्तुतिकरण के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	निकाय का नाम	सी.ए.जी. को लेखाओं की लेखापरीक्षा की सुपूर्दगी की अवधि	वर्ष जिस तक लेखे बनाए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिसके लिए लेखे देय है	लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब की अवधि (31 अगस्त 2013 तक)
1.	हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, मनीमाजरा, चण्डीगढ़	2012-13 से 2016-17	2011-12	2010-11	2004-05	2011-12 से 2012-13	14 माह
2.	हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड, चण्डीगढ़	2008-09 से 2012-13	2011-12	2011-12	2006-07	--	
3.	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकुला	2007-08 से 2011-12	2011-12	2010-11	2010-11	--	
4.	हरियाणा हाऊसिंग बोर्ड, पंचकुला	2009-10 से 2013-14	2011-12	2011-12	2010-11	--	
5.	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंचकुला	2010-11 से 2014-15	2011-12	2011-12	2010-11	2012-13	दो माह
6.	हरियाणा वक्फ बोर्ड, अम्बाला छावनी	2008-09 से 2012-13	2012-13	2011-12	प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित नहीं थे	-	
7.	हरियाणा राज्य कानून सेवाएं प्राधिकरण, चण्डीगढ़	कोई सुपूर्दगी अपेक्षित नहीं। लेखापरीक्षा सी.ए.जी. के डी.पी.सी. अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है।	2010-11	2007-08	2005-06	2011-12	14 माह
8.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, भिवानी	- सम -	2010-11	2010-11	-	2011-12 से 2012-13	14 माह
9.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला	- सम -	2010-11 <sup>1</sup>	-	-	2011-12 से 2012-13	14 माह

<sup>1</sup> 2000-01 से 2007-08 तक के वर्षों के लेखे पूर्ण नहीं थे अतः वापस भेज दिए गए।

क्र. सं.	निकाय का नाम	सी.ए.जी. को लेखाओं की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जिस तक लेखे बनाए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिसके लिए लेखे देय है	लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब की अवधि (31 अगस्त 2013 तक)
	कानून सेवाएं प्राधिकरण, फरीदाबाद						
10.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, फतेहाबाद	- सम -	2011-12	2010-11	-	2012-13	दो माह
11.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, गुड़गांव	सी.ए.जी. के डी.पी. सी. अधिनियम 1971 की धारा 19 (2) के अधीन लेखापरीक्षा ली गई है	-	-	-	1996-97 से 2012-13	16 वर्ष
12.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, झज्जर	- सम -	-	-	-	1996-97 से 2012-13	16 वर्ष
13.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, कैथल	- सम -	2011-12	2006-07	-	2012-13	दो माह
14.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, पंचकूला	- सम -	-	-	-	1996-97 से 2012-13	16 वर्ष
15.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, पानीपत	- सम -	2010-11	2010-11	-	2011-12 से 2012-13	14 माह
16.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, रेवाड़ी	- सम -	-	-	-	1996-97 से 2012-13	16 वर्ष
17.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, रोहतक	- सम -	-	-	-	1996-97 से 2012-13	16 वर्ष
18.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, सोनीपत	- सम -	-	-	-	1996-97 से 2012-13	16 वर्ष

क्र. सं.	निकाय का नाम	सी.ए.जी. को लेखाओं की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जिस तक लेखे बनाए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिसके लिए लेखे देय है	लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब की अवधि (31 अगस्त 2013 तक)
19.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, यमुनानगर	- सम -	2011-12	-	-	2012-13	दो माह
20.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, हिसार	सी.ए.जी. के डी.पी. सी. अधिनियम 1971 की धारा 19 (2) के अधीन लेखापरीक्षा ली गई है	2011-12	2006-07	-	2012-13	दो माह
21.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, नारनौल	- सम -	2009-10	2009-10	-	2010-11 से 2012-13	दो वर्ष
22.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, सिरसा	- सम -	2010-11	2010-11	-	2011-12 से 2012-13	14 माह
23.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, अम्बाला	- सम -	2007-08	2007-08	-	2008-09 से 2012-13	चार वर्ष
24.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, जींद	- सम -	2010-11	2010-11	-	2011-12 से 2012-13	14 माह
25.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, करनाल	- सम -	2007-08	2007-08	-	2008-09 से 2012-13	चार वर्ष
26.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, कुरूक्षेत्र	- सम -	2007-08	2007-08	-	2008-09 से 2012-13	चार वर्ष
27.	हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड, चण्डीगढ़	- सम -	2011-12	2010-11	-	--	
28.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, मेवात	- सम -	-	-	-	2009-10 से 2012-13	तीन वर्ष

## परिशिष्ट 3.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.4; पृष्ठ 70)

विभागीय तौर पर प्रबन्धित वाणिज्यिक एवं अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में लेखाओं के अन्तिमकरण एवं सरकारी निवेश की स्थिति दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	विभाग	विभाग के अधीन उपक्रम/स्कीमों के नाम	तक लेखे अन्तिमकृत किए गए	अन्तिमकृत गत लेखाओं के अनुसार निवेश (₹ करोड़ में)	लेखाओं को तैयार करने में विलम्ब हेतु टिप्पणियां/कारण
1.	कृषि	बीज डिपो स्कीम <sup>2</sup>	1987-88	-	1988-89 के लिए लेखे लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत किए गए।
2.	कृषि	पीड़कनाशियों का क्रय एवं वितरण	1986-87	0.82	1986-87 के बाद स्कीम सहकारिता विभाग/समिति को हस्तांतरित कर दी गई।
3.	मुद्रण एवं स्टेशनरी	राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक स्कीम	2006-07	25.20	विलम्ब स्टाफ की कमी के कारण हुआ।
4.	खाद्य एवं आपूर्ति	अनाज आपूर्ति स्कीम	2011-12	3,670.78	-
5.	परिवहन	हरियाणा रोडवेज	2008-09	606.07	विलम्ब स्टाफ की कमी के कारण हुआ।
कुल				4,302.87	

<sup>2</sup> ये स्कीमों 1986-87 (पीड़कनाशियों का क्रय एवं वितरण) तथा 1984-85 (बीज डिपो स्कीम) से बंद हैं।

**परिशिष्ट 3.5**  
(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5; पृष्ठ 70)

दुरुपयोग, गबन इत्यादि, जहां अन्तिम कार्रवाई 30 जून 2013 को लम्बित थी, के मामलों का विभाग-वार/अवधि-वार विघटन

(कोष्ठक में आंकड़े इंगित करते हैं ₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	5 वर्षों तक	5 से 10 वर्ष	10 से 15 वर्ष	15 से 20 वर्ष	20 से 25 वर्ष	25 वर्षों से अधिक	कुल
1	पशुपालन	-	1 (6.5)	-	1 (2.91)	2 (0.31)	-	4 (9.72)
2	शिक्षा	1 (0.50)	6 (3.67)	10 (8.61)	3 (1.81)	4 (2.05)	4 (1.23)	28 (17.87)
3	लोक सम्पर्क	1 (0.40)	2 (4.29)	1 (0.08)	-	-	-	4 (4.77)
4	वन विभाग	-	-	7 (11.40)	1 (0.55)	6 (1.12)	1 (0.15)	15 (13.22)
5	चिकित्सा	-	3 (2.03)	1 (0.01)	1 (1.50)	2 (11.92)	-	7 (15.46)
6	तकनीकी शिक्षा	-	7 (16.56)	7 (20.21)	-	-	1 (0.03)	15 (36.80)
7	राजस्व विभाग	-	-	1 (9.28)	-	-	-	1 (9.28)
8	पुलिस	1 (13.99)	1 (3.78)	-	-	-	-	2 (17.77)
9	खेल एवं युवा कल्याण	-	2 (0.87)	-	-	-	-	2 (0.87)
10	महिला एवं बाल कल्याण विकास	-	-	-	1 (0.12)	-	-	1 (0.12)
11	परिवहन	-	1 (0.36)	1 (3.17)	-	-	1 (0.60)	3 (4.13)
12	भवन एवं सड़कें	01 (0.00)	01 (0.00)	-	-	-	-	02 (0.00)
13	जन स्वास्थ्य	11 (19.39)	-	-	-	-	-	11 (19.39)
14	सिंचाई	05 (0.12)	16 (7.14)	5 (1.47)	4 (0.00)	10 (1.24)	9 (1.08)	49 (11.05)
	<b>कुल</b>	<b>20 (34.40)</b>	<b>40 (45.20)</b>	<b>33 (54.23)</b>	<b>11 (6.89)</b>	<b>24 (16.64)</b>	<b>16 (3.09)</b>	<b>144 (160.45)</b>

अर्थात् ₹ 1.60 करोड़

## परिशिष्ट 3.6

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5; पृष्ठ 70)

चोरी तथा दुरुपयोग/सरकारी सामग्री की हानि के मामलों का विभाग/श्रेणीवार विवरण

(₹ लाख में)

विभाग का नाम	चोरी प्रकरण		दुर्विनियोजन/सरकारी सामग्री की हानि		योग	
	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
पशुपालन	2	9.41	2	0.31	4	9.72
शिक्षा	21	14.74	7	3.13	28	17.87
लोक सम्पर्क	3	4.69	1	0.08	4	4.77
वन विभाग	3	4.70	12	8.52	15	13.22
चिकित्सा	2	0.01	5	15.45	7	15.46
तकनीकी शिक्षा	13	25.17	2	11.63	15	36.80
राजस्व विभाग	--	--	1	9.28	1	9.28
परिवहन विभाग	1	0.36	2	3.77	3	4.13
खेल एवं युवा कल्याण	2	0.87	--	--	2	0.87
पुलिस	--	--	2	17.77	2	17.77
महिला एवं बाल विकास	1	0.12	--	--	1	0.12
भवन एवं सड़कें	2	0.00	--	--	2	00.00
जन स्वास्थ्य	8	10.36	3	9.03	11	19.39
सिंचाई	37	10.50	12	0.55	49	11.05
<b>कुल</b>	<b>95</b>	<b>80.93</b>	<b>49</b>	<b>79.52</b>	<b>144</b>	<b>160.45</b>

अर्थात् ₹ 1.60 करोड़